झारखण्ड सरकार
पंचायती राज विभाग,
एफ़. एफ. पी भवन, धुर्वा, राँची

पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रो पर विस्तार) अधिनियम 1996 एवं झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 की धारा 131 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद द्वारा औपबंधिक झारखण्ड पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रो पर विस्तार) नियमावली 2024 प्रकाशित किया जाता है ।

नियम
अध्याय 1
प्रारम्भिक

1. झारखण्ड पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रो पर विस्तार) नियमावली 2024

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:-

(क) यह नियमावली "झारखंड पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रो पर विस्तार) नियमावली, 2024" कहलायेगी।

(ख) यह सरकार द्वारा अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रवृत्त होगी।

(ग) इसका विस्तार झारखंड राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में होगा।

2. परिभाषाएँ: इस नियमावली में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो:-

(क) **"अधिनियम"** से अभिप्रेत है पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रो पर विस्तार) अधिनियम 1996

(ख) **"बैठक"** से अभिप्रेत है पारम्परिक ग्राम सभा की बैठक।

(ग) **"सचिव"** से अभिप्रेत है, ग्राम पंचायत का पंचायत सचिव।

(घ) **"सहायक सचिव" से अभिप्रेत है, पारम्परिक ग्राम सभा द्वारा चुना गया सहायक सचिव ।**

(ङ) **''ग्राम सभा अध्यक्ष''** से अभिप्रेत है, अनुसूचित क्षेत्र में पारम्परिक ग्राम सभा क्षेत्र में परम्परा से प्रचलित रीति-रिवाज़ के अनुसार मान्यता प्राप्त व्यक्ति
यथा संथाल समुदाय- मांझी/ परगना,
हो समुदाय- मुंडा/मानकी/दिउरी
खड़िया समुदाय- डोकलो सोहोर,
मुंडा समुदाय- हातू मुंडा/ पड़हा राजा/पहान,
ऊराव महतो- महतो/पड़हा बेल (राजा)/पहान
या इस प्रकार से विभिन्न क्षेत्र में प्रचलित किसी अन्य नाम से अध्यक्ष के रूप में जाना जाता हो ।

(च) **"अनुसूचित क्षेत्र"** से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुछेद 244 खंड (1) के अधीन घोषित पांचवी अनुसूचित के क्षेत्र एवं झारखण्ड गजट 2007 के अनुसार।

(छ) **"ग्राम सभा"** से अभिप्रेत है, झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम- 2001 की धारा 3 में परिभाषित अनुसूचित क्षेत्रों की पारम्परिक ग्राम सभा।

(ज) **"ग्राम पंचायत की कार्यकारिणी समिति"**सेअभिप्रेत है, ग्राम पंचायत स्तर पर निर्वाचित मुखिया एवं वार्ड सदस्य।

DRAFT

(झ) **"सामुदायिक संसाधन"** से अभिप्रेत है, ग्राम सभा के अधिसूचित पारम्परिक सीमा क्षेत्र में अवस्थित प्राकृतिक संसाधन यथा जल, जंगल, जमीन, लघु खनिज और अन्य प्राकृतिक संसाधन जो निजी स्वामित्व से अलग है एवं पारंपरिक सामुदायिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किये जाते हैं।

यथा 1: निहित प्रावधानों के अधीन ग्राम सभाओं के सामूहिक निर्णय के माध्यम से तय पारम्परिक सीमा क्षेत्र के अंतर्गत सभी सामुदायिक संसाधन।

यथा-2: अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी **(वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम, 2006** तथा अन्य कोई अधिनियम, नियम या विनियमन के अधीन मान्यता प्राप्त सामुदायिक अधिकार।

यथा-3: जैव विविधता अधिनियम, 2002 एवं तत्संबंधी नियमावली के अधीन जन जैव विविधता पंजी में संधारित ग्राम सभा क्षेत्र के भीतर पारम्परिक ज्ञान, पद्धति, जैव विविधता के संतुलन स्थापित करती कृषि तकनीक, बौद्धिक ज्ञान सम्पदा इत्यादि।

(ञ) **"लघु वन उपज**"के अंतर्गत पादक मूल के सभी गैर-इमारती वनोत्पाद हैं, जिसमें, बाँस, झाड़ झंकाड़, ठूंठ, बेंत, तुसार, कोया, शहद, मोम, लाह, चार, महुआ, हर्रा, बहेरा, करंज, सरई, आंवला, रूगड़ा, तेंदू या केन्दू पत्ते, औषधीय पौधों और जड़ी- बुटीयाँ, मूल, कन्द और इसी प्रकार के उत्पाद सम्मिलित है;

(ट) **''जंगल''**से अभिप्रेत हैं, वन भूमि तथा उसमें पाए जाने वनोपज, जो भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) की धारा 2(4) में यथा परिभाषित है,

(ठ) ''**वन भूमि''**से अभिप्रेत हैं, किसी वन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली किसी प्रकार की भूमि और इसके अंतर्गत अवर्गीकृत वन, असीमांकित वन या समझे गये वन, संरक्षित वन, आरक्षित वन, अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान भी है;

(ड) **"लघु जल निकायों"** से अभिप्रेत है, गाँव की सीमा में आने वालें ऐसे जल निकाय यथा- चुआँ, डांड़ी, झरना, आहर, पाईन, तालाब, बांध, बराज एवं नहर, नदी, नाला या अन्य किसी नाम से जाने वाली संरचनाएं आएगी जिसके परम्परागत रूप से ग्रामीण अपने दैनिक जरूरतों के लिए उपयोग करते हो और पेयजल, कृषि के सहयोगी सामूहिक उद्यम तथा कुटीर- लघु उद्योगों एवं अन्य उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त किया जाता हो

(ढ) **"लघु खनिज"** से अभिप्रेत है, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 3 के खंड(ई) में परिभाषित लघु खनिज।

(ण) **"मादक द्रव्य"** से अभिप्रेत है, झारखण्ड एक्साइज एक्ट 1915 के धारा-14 के अनुसार परिभाषित "देशी शराब" या "विदेशी शराब" की श्रेणी में आने वाले वाले मादक पदार्थ।

(त) **"उधार"** से अभिप्रेत है, झारखण्ड निजी साहूकारी (निषेध) अधिनियम 2016 की धारा- 2 (ग) में परिभाषित उधार।

(थ) **"समुचित स्तर की पंचायत"** से अभिप्रेत हैं, त्रिस्तरीय पंचायत का वह स्तर जो किसी विशिष्ट कृत्य के अनुपालन के लिए अधिकृत किये गए है।

(द) **"परामर्श"** से अभिप्रेत है, इस नियम के अधीन ग्राम सभा से मुक्त पूर्व ससूचित सलाह या सर्व सम्मति से सलाह प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(ध) **"प्राकृतिक संसाधन"** से अभिप्रेत है, वैसे सभी संसाधन जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त एवं निर्मित हो।

अध्याय 2
पारंपरिक ग्राम सभा

3. पारंपरिक ग्राम सभा का गठन

झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम 2001 की अधिनियम की धारा 3 (iii) के प्रावधानानुसार ग्राम सभा का गठन निम्नानुसार किया जायेगा ;

DRAFT

(1) ग्राम सभा से तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा सरकारी गजट में विनिर्दिष्ट राजस्व ग्राम / ग्राम अथवा नियम 3(3) के तहत छोटे गांव या गांवों / टोलों का समूह अथवा आवास या आवासों के समूह के लिए निर्वाचक नामावली में निबंधित व्यक्तियों से गठित निकाय।

(2) साधारणतया प्रत्येक राजस्व ग्राम के लिये एक ग्राम सभा होगी।

(3) छोटे गांव या गांवों / टोलों का समूह अथवा आवास या आवासों के समूह में समाविष्ट समुदाय जो परम्पराओं और रूढ़ियों के अनुसार अपने कार्यकलापों का प्रबन्ध करते हैं, नियम 5 में विहित प्रक्रिया के अनुसार ग्राम सभा का गठन कर सकते हैं ।

4. पारंपरिक ग्राम सभा के गठन का प्रकाशन।

(1) जिला दण्डाधिकारी / उपायुक्त के कार्यालय द्वारा इस नियमावली के अधिसूचित होने के 30 दिनों के अन्दर जिला में समाविष्ट सभी ग्राम सभा की सूचना प्रपत्र -1 में प्रकाशित किया जायेगा।

(2) नियम 4 के उपनियम (1) में अनुसार ग्राम सभा से संबंधित सूचना के प्रकाशन के उपरांत जिला दण्डाधिकारी / उपायुक्त के कार्यालय द्वारा 3 वर्षों में अनिवार्य रूप से अथवा आवश्यकतानुसार ग्राम सभा के गठन के संबंध में सूचना प्रकाशित किया जायेगा।

(3) ग्राम सभा के गठन के संबंध में सूचना संबंधित ग्राम पंचायत तथा पंचायत समिति के सूचना पटल पर, स्थानीय और संबंधित ग्राम सभा क्षेत्रों में अवस्थित सहज दृश्य स्थान पर चिपकवाकर, स्थानीय अख़बार में छापकर तथा ढोल पीट कर प्रकाशित की जायेगी ।

5. एक राजस्व ग्राम में एक से अधिक ग्राम सभाओं के गठन की प्रक्रिया –

(i) छोटे गांव या गांवों / टोलों का समूह अथवा आवास या आवासों के समूह में समाविष्ट समुदाय जो परम्पराओं और रूढ़ियों के अनुसार अपने कार्यकलापों का प्रबन्ध करते हैं और अपने लिए अलग ग्राम सभा के गठन की इच्छा रखते हों, ग्राम सभा के गठन के संबंध में जिला गजट में अधिसूचना के तीन माह के अन्दर संकल्प पारित कर विहित प्रपत्र-2 में आवेदन प्रस्तुत कर जिला दण्डाधिकारी / उपायुक्त से उपनियम 3(3) में समाविष्ट क्षेत्र के लिए पृथक ग्राम सभा के गठन की प्रार्थना कर सकेंगे। पृथक ग्राम सभा गठन के आवेदन के साथ परम्परा से प्रचलित रीति-रिवाज के अनुसार मान्यता प्राप्त व्यक्ति, जो ग्राम प्रधान यथा मांझी, मुण्डा, पाहन, महतो या अन्य नाम से जाना जाता हो के नाम का भी उल्लेख किया जाना अनिवार्य होगा । तीन माह के बाद प्राप्त आवेदन पर जिला दण्डाधिकारी / उपायुक्त आमतौर पर विचार नहीं करेंगे, जब तक आवेदन पत्र के साथ विलम्ब का कारण न दर्शाया गया हो और दर्शाये गये कारण को जिला दण्डाधिरी / उपायुक्त संतोषजनक पाते हैं।

(ii) उपनियम 5(i) में विनिर्दिष्ट उल्लेखित प्रस्ताव या आवेदन प्राप्त होने पर जिला दण्डाधिकारी / उपायुक्त उपनियम 3(3) में वर्णित क्षेत्र के लिए पृथक ग्राम सभा गठन के आशय से एक सार्वजनिक सूचना प्रपत्र 3 में जारी करेगा।

(iii) उपनियम 5(ii) में विनिर्दिष्ट प्रस्तावित नये ग्राम सभा में समाविष्ट होने वाले क्षेत्र तथा वर्तमान ग्राम सभा से अपवर्जित होकर शेष रह जाने वाले क्षेत्र तथा उसकी जनसंख्या का विवरण होगा ।

(iv) ऐसी प्रत्येक सूचना में उसमें विनिर्दिष्ट तारीख तक आपत्ति / सुझाव आमंत्रित किये जायेंगे और किसी व्यक्ति से विनिर्दिष्ट पूर्व प्राप्त आपत्ति या सुझाव पर जिला दण्डाधिकारी / उपायुक्त द्वारा विचार किया जायेगा।

(v) ऐसी प्रत्येक सूचना जिला दण्डाधिकारी / उपायुक्त के कार्यालय, संबंधित ग्राम पंचायत तथा पंचायत समिति के सूचना पटल पर और ऐसे आशय से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में सहज दृश्य स्थान पर चिपकवाकर, स्थानीय अख़बार में छापकर तथा ढोल पीट कर प्रकाशित की जायेगी।

DRAFT

(vi) जिला दण्डाधिकारी उपर्युक्त खण्ड (iv) में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार प्रस्तुत ऐसी आपत्तियों या सुझावों, यदि कोई हो, तथा प्रस्तावित नये ग्राम सभा में सम्मिलित होने वाले क्षेत्र में रहने वाले समुदाय तथा उनकी रुढ़ियों एवं परम्पराओं आदि पर विचार कर नई ग्राम सभा के गठन पर निर्णय लेगा ।

(vii) नई ग्राम सभा के गठन के निर्णय लेने के उपरांत पूर्व के शेष ग्राम सभा क्षेत्र को भी ग्राम सभा के रूप में विनिर्दिष्ट माना जायेगा।

(viii) जिला दण्डाधिकारी / उपायुक्त पृथक ग्राम सभा के गठन की अधिसूचना प्रपत्र 4 में जारी करेगा जिसमें उस ग्राम सभा में आने वाले ग्राम / ग्रामों के नाम तथा उनका विवरण होगा। पुर्नगठित ग्राम सभाएँ आगामी माह की प्रथम तारीख से अस्तित्व में आयेंगी।

(ix) ऐसी अधिसूचना का प्रकाशन नियम 4 के उपनियम (iii) में विहित रीति में किया जायेगा और उसकी एक प्रति जिला दण्डाधिकारी / उपायुक्त, जिला परिषद्, पंचायत समिति तथा संबंधित ग्राम पंचायत और संबंधित ग्राम सभा को भेजी जायेगी ।

6. पारंपरिक ग्राम सभा से उच्चतर स्तर (बहुस्तरीय) की सभा

(1) ग्राम सभा से उच्चतर स्तर (बहुस्तरीय) की सभा केवल पारम्परिक ग्राम सभा के निर्णय के अपीलीय (Appellate) संस्था अथवा विवादों के पारंपरिक निपटारा के लिए है ।

(2) ग्राम सभा से उच्चतर स्तर (बहुस्तरीय) की सभा, चाहे वह जिस नाम से जाना जाता हो और जैसा कि ग्राम सभाओं में समाविष्ट समुदाय के लोगों की परंपराओं और रूढ़ियों, उनकी सांस्कृतिक पहचान, समुदाय के संसाधनों और विवाद निपटाने के रूढ़िजन्य ढंग का संरक्षण और परिरक्षण करने के लिए बनाया गया हो एवं पारम्परिक ग्राम सभाओं के अंतर्गत उनकी ग्राम की संख्या निर्धारित की गई हो गठित की जाएगी । यह ग्राम सभा की उच्चतम स्तर की पारम्परिक व्यवस्था बहुस्तरीय भी हो सकती है।

(3) नियम 6 के उपनियम (2) के अनुसार गठित ग्राम सभा की उच्चतर स्तर की सभा पारंपरिक रूप से निर्धारित सीमा क्षेत्र के अन्दर समाहित होगी ।

DRAFT

अध्याय 3
पारंपरिक ग्राम सभा की बैठक

7. ग्राम सभा की बैठक :--

(1) ग्राम सभा की बैठक माह में कम से कम एक बार होगी :

परन्तु ग्राम सभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/10 सदस्यों अथवा 50 सदस्यों, जो भी कम हो, के लिखित अपेक्षा किए जाने पर या ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत के मुखिया, पंचायत समिति, जिला परिषद् या जिला दण्डाधिकारी / उपायुक्त द्वारा अपेक्षित किये जाने पर ग्राम सभा की बैठक ऐसी अपेक्षा के सात दिनों के भीतर बुलाई जा सकेगी :

(2) ग्राम सभा के कुल सदस्यों की संख्या के एक तिहाई सदस्यों की संख्या कोरम के लिए अनिवार्य है, किन्तु इन एक तिहाई सदस्यों की संख्या में भी एक तिहाई महिला सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। यदि 1/3 (एक तिहाई) के गणित में एक का अंश सदस्य संख्या आती है तो उसे पूरा सदस्य गणना में लिया जायेगा । उदाहरणस्वरुप यदि बैठक में सदस्यों की कुल संख्या 91 है तो एक तिहाई सदस्य से कम नहीं की पूर्ति करने के लिए 30.3 अर्थात पूर्ण संख्या 30 सदस्य एक तिहाई से कम होंगे, इसलिए 31 सदस्यों की उपस्थिति कोरम के लिए आवश्यक है तथा इन 31 सदस्यों में से एक तिहाई महिला सदस्य की अर्थात् 11 महिला सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है।

(3) ग्राम सभा के बैठक की अध्यक्षता उस ग्राम सभा के अनुसूचित जनजातियों के ऐसे सदस्य द्वारा की जायेगी, जो उस ग्राम सभा क्षेत्र में परम्परा से प्रचलित रीति-रिवाज के अनुसार मान्यता प्राप्त व्यक्ति हो जो ग्राम प्रधान जैसे मांझी, मुण्डा, पाइन, महतो या किसी अन्य नाम से जाना जाता हो या उनके द्वारा मनोनीत / समर्थित व्यक्ति हो परन्तु संबंधित ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का सदस्य (वार्ड सदस्य), उपमुखिया या मुखिया नहीं हों ।

परन्तु यह और कि जिस ग्राम सभा क्षेत्र में परम्परा से प्रचलित रीति-रिवाज के अनुसार मान्यता प्राप्त व्यक्ति, जो ग्राम प्रधान यथा मांझी, मुण्डा, पाहन, महतो या अन्य नाम से जाना जाता हो गैर अनुसूचित जनजाति का सदस्य हो तो अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के बैठक की अध्यक्षता उनके द्वारा अथवा यदि उक्त क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के अन्य सदस्य हों तो ग्राम प्रधान द्वारा प्रस्तावित अथवा बैठक में उपस्थित सदस्यों की बहुमत से मनोनीत / समर्थित ऐसे व्यक्ति और यदि अनुसूचित जनजाति के सदस्य न हो तो ऐसे प्रस्तावित अथवा मनोनीत / समर्थित गैर अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति द्वारा की जायेगी।

(4) यदि बैठक हेतु निर्धारित किए गये समय पर कोरम के लिए आवश्यक संख्या में सदस्य उपस्थित नहीं हैं, तो बैठक की अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति बैठक को ऐसी आगामी तिथि एवं समय के लिए स्थगित कर देगा, जैसा कि वह निश्चित करे तथा स्थगित बैठक की एक नई सूचना नियम 7. के अनुसार देगा और ऐसे स्थगित बैठक के लिए कोरम आवश्यक नहीं होगी, परन्तु ऐसी बैठक में किसी नये विषय पर विचार नहीं किया जायेगा ।

(5) ग्राम सभा की अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति जो या तो परम्परागत ग्राम प्रधान हो या उसके द्वारा प्रस्तावित स्थायी अध्यक्ष हो को संबंधित पंचायत समिति के सचिव द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी / कर्मचारी, ग्राम सभा की प्रथम बैठक के पूर्व शपथ ग्रहण / प्रतिज्ञा करायेगा। शपथग्रहण / प्रतिज्ञा संलग्र प्रपत्र 8 में कराया जायेगा। शपथग्रहण / प्रतिज्ञा करने वाले ग्राम सभा के अध्यक्षों की सूची संबंधित प्रखण्ड विकास कार्यालय में संधारित की जायेगी, जिसकी एक प्रति ग्राम पंचायत कार्यालय में भी रखा जायेगा ।

(6) शपथग्रहण / प्रतिज्ञा करने वाले ग्राम सभा के अध्यक्षों की सूची संबंधित प्रखण्ड विकास कार्यालय द्वारा संबंधित ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर और ग्राम सभा क्षेत्र के सहज दृश्य स्थान पर चिपकवाकर तथा ढोल पीट कर प्रकाशित की जायेगी ।

DRAFT

8. ग्राम सभा की बैठकों का स्थान -

(i) ग्राम सभा की प्रत्येक बैठक और कार्यवाही सार्वजनिक रुप से आयोजित की जायेगी ।

(ii) यदि कोई बैठक किसी बन्द भवन में की जानी है, तो दरवाजा बन्द नहीं किया जायेगा या किसी को प्रवेश से करने से रोका नहीं जायेगा ।

9. बैठक की तारीख एवं समय–

(1) (i) ग्राम सभा की सामान्य बैठकों की तारीख, समय तथा स्थान पारंपरिक रूप से ग्राम सभा की अध्यक्षता कर रहे ग्राम प्रधान द्वारा नियत किया जायेगा, पारंपरिक रूप से ग्राम सभा की अध्यक्षता कर रहे ग्राम प्रधान की अनुपस्थिति में पारंपरिक रूप से ग्राम सभा की अध्यक्षता कर रहे ग्राम प्रधान द्वारा नामित व्यक्ति द्वारा नियत किया जायेगा।

(ii) ग्राम सभा की विशेष बैठकों की तारीख, समय तथा स्थान मुखिया / पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी / जिला परिषद् के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी / उपायुक्त या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा नियत किया जायेगा । विहित रीति से नियत बैठक की तारीख, समय तथा स्थान की सुचना संबंधित ग्राम सभा के अध्यक्ष को बैठक से 7 दिनों पूर्व देना होगा।

(2) ग्राम पंचायत का मुखिया इस नियम के अधीन विशेष बैठक बुलवाये जाने के लिए जिम्मेवार होगा। इस जिम्मेवारी को निर्वहन करने के लिए उसे सतर्क और सावधान रहना चाहिए।

(3) यदि मुखिया इस नियम के अधीन विशेष बैठक बुलवाने में असफल रहता है तो संबंधित पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी की अनुशंसा पर संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा मुखिया को अयोग्य करार करते हुए उसे पद से हटा दिया जायेगा, परन्तु मुखिया को अयोग्य करार करने के पूर्व संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निरर्हित करने के आधार सहित कारण पृच्छा का युक्तियुक्त अवसर देना होगा तथा लापरवाही या उपेक्षा जिसमें कुछ संदोष या आपराधिक त्रुटि उत्पन्न हो, वह देखना होगा।

10. बैठक की सूचना देने की रीति -

(1) ग्राम सभा की प्रत्येक बैठक की सूचना जिसमें तारीख, समय तथा स्थान और व्यवहार किए जाने वाले कारवाई को विनिर्दिष्ट करते हुए बैठक की तारीख से कम से कम सात दिन पूर्व इस नियमावली से संलग्न प्रपत्र-5 में दी जाएगी, परन्तु आपातकालीन स्थिति में ग्राम सभा की बैठक पूरे तीन दिन की पूर्व सूचना देकर भी बुलायी जा सकेगी।

(2) सामान्य बैठक की ऐसी सूचना संबंधित संबंधित ग्राम सभा के प्रत्येक ग्रामों में सहजदृश्य / सार्वजनिक स्थानों पर इसकी एक प्रति को चिपकाया जायेगा और ग्राम सभा क्षेत्र में डुगडुगी या ढोल पिटवाकर घोषणा करते हुए प्रकाशित की जायेगी।

(3) विशेष बैठक की ऐसी सूचना संबंधित ग्राम पंचायत / पंचायत समिति के सुचना पट में प्रकाशित कर संबंधित ग्राम सभा के प्रत्येक ग्रामों में सहजदृश्य / सार्वजनिक स्थानों पर इसकी एक प्रति को चिपकाया जायेगा और ग्राम सभा क्षेत्र में डुगडुगी या ढोल पिटवाकर घोषणा करते हुए प्रकाशित की जायेगी।

11. ग्राम सभा का निरीक्षण ।

ग्राम सभा के सदस्य को ग्राम सभा के समक्ष रखे जाने वाले अभिलेखों का कार्यावधि के दौरान निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

DRAFT

अध्याय 4
ग्राम सभा अध्यक्ष एवं सहायक सचिव के कर्तव्य

12. ग्राम सभा के अध्यक्ष का चयन / परिवर्तन

(1) ग्राम सभा अध्यक्ष पर आसीन व्यक्ति जो परम्परा से प्रचलित रीति-रिवाज के अनुसार मान्यता प्राप्त यथा मांझी, मुण्डा, पाहन, महतो या अन्य नाम से जाना जाता है, की मृत्यु / पद त्याग या किसी अन्य कारण से पद खाली होने पर परम्परा से प्रचलित रीति-रिवाज के अनुसार नये ग्राम सभा अध्यक्ष का चुनाव / मनोनयन पद रिक्त होने के एक महिना के अन्दर किया जायेगा।

(2) नये अध्यक्ष के चयन / मनोनयन के 10 दिनों के अन्दर इसकी सूचना प्रखंड विकास पदाधिकारी – सह – सचिव पंचायत समिति / उप विकास आयुक्त – सह –मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् एवं जिला दण्डाधिकारी / उपायुक्त को लिखित रूप से उपलब्ध करा अनिवार्य होगा।

13. ग्राम सभा का सहायक सचिव

I. ग्राम सभा अपने सदस्यों में एक सहायक- सचिव का चुनाव कर सकेगी । सहायक सचिव का मानदेय ग्राम सभा अपने स्वयं के आय से भुगतान करने का निर्णय ले सकेगी। ग्राम सभा अपने आवश्यकता अनुसार सहायक सचिव के कार्यों का निर्धारण कर सकेगी। ऐसे सहायक सचिव अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे / करेगी।

II. ग्राम सभा के सहायक- सचिव एक वर्ष के लिए नियुक्त किया जा सकेगा, परन्तु वह पुन: नियुक्ति के पात्र होंगे । ग्राम सभा द्वारा सहायक सचिव को चुनते समय महिलाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

III. ग्राम सभा के बहुमत से सहायक – सचिव को कभी भी हटाया / बदला जा सकता हैं।

14. बैठक के अध्यक्ष के कर्तव्य एवं शक्तियां।-

(1) यदि संबंधित ग्राम पंचायत का सचिव ग्राम सभा की बैठक के अध्यक्ष के आदेशों का जो झारखण्ड पंचायती राज अधिनियम 2001 के अधीन दायित्वों के निर्वहन या क्रियान्वयन करने के क्रम में पंचायत सचिव के कृत्यों में आते हैं, उन्हें वह पालन नहीं करता है तो अध्यक्ष द्वारा संबंधित पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी से उसपर नियंत्रण करने की अपेक्षा कर सकती है।

(2) यदि राज्य सरकार अपने विवेक पर पंचायत के कार्यकलापों की जांच करती है, तब जाँचकर्ता प्राधिकारी के समक्ष लिखित में अध्यक्ष समस्याओं का समाधान चाहने हेतु निवेदन कर सकता है और बता सकता है कि उसे अपने कर्तव्यों के पालन में अमूक बाधाऐं हैं, जिनसे झारखण्ड पंचायती राज अधिनियम 2001 के उद्धेश्यों के अनुकूल कार्य होने में समस्या आ रही है।

(3) झारखण्ड पंचायती राज अधिनियम 2001 के अधीन राज्य सरकार या विहित प्राधिकारी ऐसे संक्रमों के निष्पादन किये जाने का निर्देश दे सकेगा, जिसे पंचायत द्वारा नहीं किया जा रहा है तथा जिसका किया जाना लोकहित में आवश्यक है। झारखण्ड पंचायती राज अधिनियम 2001 के अधीन पंचायतों के कार्य का निरीक्षण होने के समय लिखित में अध्यक्ष द्वारा निरीक्षण कर्ता प्राधिकारी को ग्राम सभा संबंधी कठिनाईयां प्रस्तुत कर सकता है।

(4) बैठक में यदि कोई सदस्य अभद्रता से पेश आता है, आपत्तिजनक या संतापकारी शब्दों का प्रयोग करता है और उन्हें वापस लेने या क्षमा मांगने से इंकार करता है या बैठक के शांतिपूर्ण तथा व्यवस्थित संचालन में जान बूझकर गड़बड़ी पैदा करता है, या अध्यक्ष के किसी आदेश का पालन करने से इंकार करता है या अध्यक्ष द्वारा स्थान ग्रहण के लिए आदेशित किये जाने पर भी अपना स्थान ग्रहण नहीं करता है तो वह सदस्य व्यवस्था भंग करने का दोषी होगा तथा अध्यक्ष द्वारा ऐसी किसी भी सदस्य को बैठक से तुरंत निकल जाने का निदेश दे सकेगा और इस प्रकार निकल जाने के लिए आदेशित किया गया कोई सदस्य तुरंत ऐसा करेगा और उस दिन की बैठक की शेष अवधि के दौरान अनुपस्थित रहेगा।

(5) अध्यक्ष बैठक में गंभीर अव्यवस्था उत्पन्न होने की दशा में उसके द्वारा विनिश्चित तथा घोषित किए जाने वाले समय तक के लिए किसी बैठक को स्थगित कर सकेगा।

अध्याय 5
ग्राम सभा बैठक का संचालन एवं निर्णय की प्रक्रिया

DRAFT

15. ग्राम सभा की बैठक का संचालन :-

(1) ग्राम सभा की बैठक का संचालन उसकी अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति द्वारा किया जायेगा, जो अध्यक्ष के नाम से संबोधित किया जायेगा।

(2) अध्यक्ष द्वारा ग्राम सभा की राय से ग्राम सभा के समक्ष विचारार्थ लिये जाने वाले मुद्दों पर चर्चा की प्रक्रिया विनिश्चित किया जायेगा।

(3) बैठक में लिए गये निर्णयों को संक्षिप्त जानकारी के लिए पढ़कर सुनाया जायेगा। संबंधित ग्राम सभा के सहायक सचिव द्वारा उसी के अनुसार विनिश्चयों को कार्यवाही पंजी में अभिलिखित किया जाएगा ।

(4) ग्राम पंचायत का कार्यालय ही ग्राम सभा का कार्यालय होगा। यदि किसी पंचायत में एक से अधिक ग्राम सभा हो, तो प्रत्येक ग्राम सभा का अपने गाँव में अपना कार्यालय होगा, जैसे कि सार्वजनिक भवन, , धुमकुड़ियां, खाली स्कूल या कोई भी स्थान जहाँ जनता की पहुँच आसान हो, और ऐसा कोई स्थान न होने की स्थिति में एक सामान्य व्यक्ति का घर, बशर्ते कि ऐसे कार्यालय के लिए किसी भी रूप में कोई किराया नहीं दिया जाएगा

(5) ग्राम सभा के सामान्य अधीक्षण, नियंत्रण और निर्देशन में ग्राम पंचायत कार्य करेगी।

(6) ग्राम सभा के सरकारी योजनाओं एवं चयनित लाभुको की योजनाओं के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की कार्यकारिणी समिति की होगी ।

(7) प्रत्येक पारम्परिक ग्राम सभा एक सदस्य को पंचायत कार्यकारिणी की बैठक में भाग लेने के लिए मनोनीत कर सकेगी। मनोनीत सदस्य ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक में आमंत्रित सदस्य के रूप में भाग लेंगे । कार्यकारिणी बैठक में मनोनीत आमंत्रित सदस्यों की गणपूर्ति 1/3 होगी। ऐसे सदस्यों को बैठक में वोट देने का अधिकार नहीं होगा। परन्तु, गणपूर्ति नहीं पूर्ण होने की दशा में मुखिया द्वारा बैठक स्थगित कर दी जाएगी एवं बैठक हेतु एक नई सुचना विहित रीति में दी जाएगी और ऐसे स्थगित बैठक के लिए गणपूर्ति आवश्यक नहीं होगी, परन्तु ऐसी बैठक में किसी नये विषय पर विचार नहीं किया जाएगा।

16. सर्वसम्मिति द्वारा विनिश्चय ।

(1) ग्राम सभा की बैठक में लाए गये समस्त विषय सर्वसम्मिति द्वारा विनिश्चत किए जाऐंगे और सर्वसम्मिति द्वारा विनिश्चत नहीं होने की दशा में उपस्थित सदस्यों की बहुमत से मतदान हाथ उठाकर किया जायेगा। मतों की समानता की दशा में बैठक के अध्यक्ष को द्वितीयक या निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।

(2) यदि ऐसा कोई विवाद उत्पन्न होता है जिससे कोई व्यक्ति मतदान का हकदार है या नहीं तो ग्राम सभा क्षेत्र के मतदाताओं की सूची में प्रविष्टि को ध्यान में रखते हुए अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति द्वारा उसका विनिश्चय किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

17. उपस्थिति पंजी - ग्राम सभा के बैठक में उपस्थित होने वाले सदस्यों के नाम प्रपत्र 6 में रखे गये उपस्थिति पंजी में दर्ज किये जायेंगे।

18. पारम्परिक ग्राम सभा के अभिलेख का संधारण एवं रख रखाव -

(1) पारम्परिक ग्राम सभा के प्रत्येक बैठक की कार्यवाहियों के अभिलेख तथा विनिश्चय तथा उसमें उपस्थित सदस्यों की संख्या कार्यवाही पंजी में ग्राम पंचायत के सचिव / ग्राम सभा के सहायक सचिव द्वारा इस नियमावली के साथ संलग्न प्रपत्र 7 में प्रविष्टि किया जायेगा और उसी बैठक में अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति द्वारा उसकी पुष्टि की जायेगी।

DRAFT

(2) कार्यवाही हिन्दी में देवनागरी लिपि में लिखी जायेगी।

(3) ग्राम सभा की विशेष बैठकों की कार्यवाही की प्रति सचिव द्वारा ग्राम पंचायत को प्रस्तुत की जायेगी।

(4) पारम्परिक ग्राम सभा संधारित सभी अभिलेख यथा कार्यवाही पंजी, खाता बही आदि ग्राम सभा में रखी जाएगी एवं आवश्यकता अनुसार ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराया जायेगा।

19. ग्राम सभा की संयुक्त बैठक:

(1) ऐसे विषय जिसका संबंध एक से अधिक ग्राम सभा से हो, इस हेतु संयुक्त ग्राम सभा की बैठक आयोजित की जा सकती है।

(2) संयुक्त बैठक में किया गया विनिश्चय प्रत्येक ग्राम सभा द्वारा किया गया विनिश्चय माना जाएगा।

(3) संयुक्त बैठक के अध्यक्ष ऐसे भाग लेने वाली ग्राम सभाओं के अध्यक्षों में से चुना जायेगा ।

(4) संयुक्त बैठक में प्रत्येक ग्राम सभा से न्यूनतम 33 प्रतिशत व्यक्ति अथवा 30 सदस्य, जो भी अधिक हो, की उपस्थिति अनिवार्य होगा। जिनमें न्यूनतम 33 प्रतिशत महिला सदस्य होंगे।

अध्याय 6
ग्राम सभा की स्थायी समितियों का गठन (वैकल्पिक)

20. ग्राम सभा के स्थायी समिति की गठन एवं बैठक की प्रक्रिया :- ग्राम सभा कृत्यों एवं कर्तव्यों को ध्यान देते हुए इस प्रकार की समितियों का गठन कर सकेगी। इन समितियों की गठन की अनिवार्यता नहीं होगी। यह समितियां ग्राम सभा की अधिरक्षा एवं नियंत्रण में कार्य करेगी।

ग्राम विकास समिति

सार्वजनिक सम्पदा समिति
कृषि समिति
स्वास्थ्य समिति

ग्राम रक्षा समिति

आधारभूत संरचना समिति

शिक्षा एवं सामाजिक न्याय समिति

निगरानी समिति

प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन समिति

(1) ग्राम सभा झारखण्ड पंचायती राज अधिनियम 2001 द्वारा दिये गये कृत्यों एवं कर्तव्यों के निर्वहन एवं सुविधा के दृष्टिकोण से अपने सदस्यों में से झारखण्ड पंचायती राज अधिनियम 2001 में वर्णित स्थायी समितियों /उपरोक्त समितियों का गठन कर सकेगी, परन्तु यह बाध्यकारी नहीं होगा।

(2) यदि ग्राम सभा द्वारा स्थायी समितियों का गठन किया जाता है तो, ग्राम सभा की प्रत्येक स्थायी समिति में चार सदस्य होंगे जो इस प्रयोजन के लिए ग्राम सभा द्वारा 'विशिष्टतः बुलाये गये बैठक में सदस्यों द्वारा अपने

DRAFT

बीच में से बहुमत द्वारा मनोनीत किए जायेंगे। इन चार सदस्यों में से एक को अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया जायगा।

(3) यदि ग्राम सभा द्वारा स्थायी समितियों का गठन किया जाता है तो, ग्राम सभा की प्रत्येक स्थायी समिति के सदस्यों का कार्यकाल बैठक में मनोनीत होने की तिथि से एक वर्ष के लिए होगी, परन्तु वह पुर्ननिर्वाचन का पात्र होगा।

(4) यदि ग्राम सभा द्वारा स्थायी समितियों का गठन किया जाता है तो, ग्राम सभा के स्थायी समितियों के सदस्यता के लिए कोई आरक्षण नहीं होगा।

(5) यदि ग्राम सभा द्वारा स्थायी समितियों का गठन किया जाता है तो, ग्राम सभा की किसी स्थायी समिति के सदस्यों में से किसी सदस्य की मृत्यु , त्यागपत्र या अनर्हता या उसके कार्यकाल के समाप्ति के पूर्व कार्य करने में असमर्थ होने की दशा में ऐसे पद में आकस्मिक रिक्ति हो गई समझी जायेगी और ऐसी रिक्ति को उप नियम (ख) में वर्णित रीति से यथाशक्य शीघ्रता से भरी जायेगी।

(6) यदि ग्राम सभा द्वारा स्थायी समितियों का गठन किया जाता है तो, ग्राम सभा के प्रत्येक स्थायी समिति का एक सचिव होगा जो उस ग्राम सभा की अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति द्वारा मनोनीत किया जायेगा, परन्तु ऐसा मनोनीत सदस्य ग्राम सभा के सदस्यों के बीच का ही होगा तथा उसका कार्यकाल उसकी सदस्यता की अवधि तक रहेगा।

(7) यदि ग्राम सभा द्वारा स्थायी समितियों का गठन किया जाता है तो, साधारणतः कामकाज के संचालन के लिए प्रत्येक स्थायी समिति की बैठक ग्राम सभा क्षेत्र के अन्दर जो ग्राम सभा की अध्यक्षता करनेवाली व्यक्ति द्वारा निर्धारित होगी, स्थान पर माह में कम से कम एक बार ऐसी तारीख एवं समय पर होगी जैसा कि ग्राम सभा के अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति द्वारा निर्धारित किया जाय।

(8) यदि ग्राम सभा द्वारा स्थायी समितियों का गठन किया जाता है तो, बैठक की सूचना बैठक की तारीख से पूरे तीन दिन पूर्व उसकी तारीख, समय तथा स्थान और उसमें किए जाने वाले कामकाज दर्शाते हुए समिति के प्रत्येक सदस्य को दी जायेगी और ग्राम सभा के क्षेत्र के सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शित की जाएगी।

(9) यदि ग्राम सभी द्वारा स्थायी समितियों का गठन किया जाता है तो, इस प्रकार के बैठक की तारीख नियत करते समय इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि अन्य स्थायी समितियों के बैठक की तारीखों से टकराव न हो।

(10) यदि ग्राम सभा द्वारा स्थायी समितियों का गठन किया जाता है तो, स्थायी समिति की बैठक के लिए गणपूर्ति (कोरम) तत्समय गठित स्थायी समिति के आधे सदस्यों से होगी। यदि किसी बैठक में गणपूर्ति न हो तो समिति के सभापति बैठक को ऐसी तारीख तथा समय के लिए स्थगित कर सकेगा जो उसके द्वारा नियत किया जाय तथा इस प्रकार नियत किए गए बैठक की सूचना ग्राम सभा के सार्वजनिक स्थानों पर चिपकाई जायेगी तथा इस प्रकार स्थागित किए गये बैठक के लिए कोई गणपूर्ति आवश्यक न होगी तथा ऐसे बैठक में कोई नया विषय विचारार्थ नहीं लाया जायेगा ।

(11) यदि ग्राम सभा द्वारा स्थायी समितियों का गठन किया जाता है तो, स्थायी समिति के किसी बैठक के समक्ष लाए गए समस्त प्रश्नों का विनिश्चय उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा किया जायेगा। मतों के बराबर होने की दशा में बैठक के सभापति का निर्णायक मत होगा ।

(12) यदि ग्राम सभा द्वारा स्थायी समितियों का गठन किया जाता है तो, स्थायी समिति मुख्यतया केवल उनको सौंपे गये मामलों के संबंध में ही विनिश्चय करेगी। यदि मामले में वित्तीय पहलू अंतर्ग्रस्त है तो वह उस मामले को अपनी सिफारिश के साथ आगे और विचारार्थ ग्राम सभा को निर्दिष्ट करेगी। जहाँ कोई मामला एक से अधिक स्थायी समिति से संबंधित हो, वहाँ वह विनिश्चय के लिए ग्राम सभा के समक्ष रखा जायेगा।

(13) यदि ग्राम सभा द्वारा स्थायी समितियों का गठन किया जाता है तो, स्थायी समितियों में से प्रत्येक स्थायी समिति के बैठक की कार्यवाहियां इस प्रयोजन के लिए रखी गई कार्यवृत पुस्तक में अभिलिखित की जाएँगी। बैठक का सभापति, बैठक की समाप्ति होने के पश्चात् यथा संभव शीघ्र कार्यवृत पुस्तक पर हस्ताक्षर करेगा। कार्यवृत पुस्तिका स्थायी समिति के समक्ष विचारण के लिए उसके अगले बैठक में रखी जायेगी जब तक कि इस बीच ग्राम सभा के बैठक में उसकी पुष्टि न कर दी जाय।

DRAFT

(14) यदि ग्राम सभा द्वारा स्थायी समितियों का गठन किया जाता है तो, स्थायी समिति की कार्यवाहियां स्थायी समिति के बैठक के पश्चात् किए गए अगले बैठक में ग्राम सभा के समक्ष रखी जाएँगी। ग्राम सभा ऐसे बैठक में स्थायी समिति के विनिश्चय की पुष्टि कर सकेगी या ऐसा निदेश दे सकेगी जैसा कि वह आवश्यक समझें ।

अध्याय 7
ग्राम सभा कोष

21. ग्राम सभा का कोष :

(क) प्रत्येक ग्राम सभा एक निधि स्थापित कर सकेगी जो निम्नलिखित चार भागों से मिलकर ग्राम कोष कहलाएगा

(i)अन्न कोष

(ii)श्रम कोष

(iii) वस्तु कोष

(iv) नगद कोष

नगद कोष जिसमें निम्नलिखित जमा होंगे-

(i)दान

(ii) प्रोत्साहन राशि

(iii) दण्ड राशि, शुल्क राशि, लघु वन उपज से प्राप्त रायल्टी, तालाब लीज से प्राप्त राजस्व, बाजार प्रबंधन शुल्क, बालू घाट से प्राप्त शुल्क एवं अन्य आय से प्राप्त राशि को ग्राम सभा कोष में जमा की जाएगी।

(ख) नगद कोष ग्राम सभा के नियंत्रण में रहेगा। ग्राम सभा अपने निर्णय के अनुसार इसका उपयोग करेगी एवं इस पर ग्राम सभा का पूर्ण अधिकार होगा। इसका प्रबंधन इस प्रकार से किया जाएगा

I. कोष का संचालन हेतु ग्राम सभा सर्वसम्मति से तीन सदस्यों का चुनाव करेगी। जिन्हें खाता संचालन हेतु अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी अधिकतम 3 वर्षों के लिए दी जाएगी। इन तीन सदस्यों में से कम से कम एक महिला सदस्य का होना अनिवार्य होगा । एक सदस्य के पास कोष की जमा राशि का प्रभार होगा। दूसरा सदस्य खातों की देखभाल करेगा एवं तीसरा सदस्य लेन-देन का ध्यान रखेगा। यदि ग्राम सभा चाहें तो 3 वर्ष पूर्ण होने के पूर्व ही सदस्यों का बदलाव कर सकती है।

II. यह खाता किसी बैंक या पोस्ट ऑफिस में खुलवाये जायेंगे।

III. ग्राम सभा कोष का आहरण हेतु सम्बंधित ग्राम सभा के अनुमोदन से प्रस्ताव पारित होना आवश्यक होगा।

(ग) नगद कोष का प्रबंधन:

I. एक समय में ग्राम सभा अंतर्गत अधिकतम नगद कोष 10,000 रुपये तक पेटी में बंद करके रखा जा सकेगा एवं इससे अधिकतम राशि होने पर ग्राम सभा यह राशि बैंक में रखेगी।

II. यदि पेटी में नगद रखा जाता है तो पेटी और चाबी दो अलग अलग खाता संचालकों द्वारा रखा जायेगा । एवं ग्राम सभा में सदस्यों की उपस्थिति में ही पेटी को खोला जायेगा।

DRAFT

(घ) खातों का प्रबंधन:

I. ग्राम सभा द्वारा सहायकसचिव की मदद से मीटिंग पुस्तिका, नगद पुस्तिका, बैंक पुस्तिका एवं आय-व्यय पुस्तिका का संधारण किया जायेगा।

II. प्रत्येक माह इन पुस्तिकाओं को ग्राम सभा के बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा।

अध्याय-8
सामुदायिक संसाधनों का प्रबंधन

22. सामुदायिक संसाधनों की सुरक्षा एवं प्रबंधन :

(1) ग्राम सभा अपने पारंपरिक सीमा के भीतर के प्राकृतिक स्रोतों का जैसे भूमि, जल, वन एवं लघु खनिज का अनुसूचित जनजाति परंपरा के रुढ़िजन्य विधि, सामाजिक एवं धार्मिक प्रथाओ के अनुसार परंतु संविधान के उपबंधों के अधीन तथा तत्समय प्रवृत केंद्र , राज्य सरकार,या प्रथागत स्थानीय कानूनों के सुसंगत विधियों की भावना का सम्यक ध्यान रखते हुए प्रबंध कर सकेगी एवं सामुदायिक स्वामित्व का अधिकार भी रख सकेगी।

(2) पारम्परिक ग्राम सभा या उसकी स्थायी समिति पारम्परिक क्षेत्र के सीमा के भीतर अवस्थित सामुदायिक संसाधनों का विवरणी अभिलेख पंजी में संधारित करेगी।

(3) पारम्परिक ग्राम सभा या उसकी स्थायी समिति ग्राम सभा क्षेत्र के सीमा में अवस्थित सामुदायिक संसाधनों का संरक्षण एवं सतत् उपयोग हेतु 5 वर्षीय प्रबंधन योजना तैयार कर प्रस्ताव ग्राम सभा के अनुमोदन हेतु उपलब्ध करायेगी।

(4) पारम्परिक ग्राम सभा या उसकी स्थायी समिति , ग्राम सभा के क्षेत्रांतर्गत संसाधनों का प्रबंधन करेगी। ग्राम सभा या समिति के आमंत्रण पर प्राकृतिक संसाधनों से संबन्धित जानकार व्यक्ति या किसी विभाग के प्रतिनिधि/ विशेषज्ञ या संबन्धित क्षेत्र में काम करनेवाली कोई संस्था इस समिति के बैठकों में भाग ले सकते हैं।

(5) ग्राम सभा सामुदायिक संसाधनों का प्रबंधन एवं सतत् उपयोग हेतु निम्न शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करायेगी ;

I. सामुदायिक संसाधनों पर ग्राम सभा क्षेत्र के सभी ग्रामीणों को समान रूप से पहुँच हो।

II. ऐसी किसी क्रियाकलापों या विनाशकारी व्यवहारों को विनियमित करेगी, जिससे सामुदायिक संसाधनों, पर प्रतिकूल प्रभाव डालता हो।

III. सामुदायिक संसाधनों का नियंत्रण एवं प्रबंधन समुदाय के पारम्परिक पद्धति तथा प्रथाओं के अनुसार किया जाएगा। (विल्किसन रूल्स, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम, आदि क्षेत्रीय कानूनों का सम्यक ध्यान रखा जाएगा)

अध्याय-9

परम्पराओं का संरक्षण एवं विवादों का निपटारा

23. परम्पराओं का दस्तावेजीकरण:

DRAFT

(1) ग्राम सभा अपने क्षेत्र में निवास करने वाले अनुसूचित जनजातीय समुदायों एवं अन्य समुदाय के रुढ़िजन्य विधि, सामाजिक एवं धार्मिक प्रथाओं का संधारण करेगी एवं उनके संरक्षण के लिए आवश्यक कदम उठाएगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा गाँव के अधिकार एवं दायित्व के सम्बन्ध में निर्गत नियम अनुसूचित जनजातिकी प्रथा, सामाजिक, धार्मिक और पारंपरिक प्रबंधन के अनुरूप होगा और यदि-

I. ग्राम सभा में जब यह राय हो कि कोई नियम जिसे अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तारित किया गया है, वह उनकी प्रथा, सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं और समुदायिक के पारंपरिक प्रबंधन प्रथाओं या कोई भी विषय जो अनुसूचित क्षेत्रों के दायरे में आता है के अनुरूप नहीं है तो ग्राम सभा इससे सम्बन्धित प्रस्ताव पर बैठक में निर्णय लेगी।

II. इस प्रकार के पारित प्रस्ताव को ग्राम सभा उपायुक्त को अग्रसारित करेगी, जिसे उपायुक्त राज्य सरकार को प्रेषित करेंगे।

III. राज्य सरकार ऐसे संकल्प प्राप्ती के 30 दिनों के अंतर्गत आवश्यक कार्यवाई हेतु एक उच्च स्तरीय समिति की गठन करेगी जो 90 दिनों के अन्दर अपनी सलाह राज्य सरकार को प्रेषित करेगी। राज्य सरकार ऐसे संकल्प प्राप्ति के 160 दिनों के अन्दर लिए जा रहें निर्णय या लिए गए निर्णय को ग्राम सभा को सूचित करेगी।

(3) संविधान तथा सरकार एवं ग्राम सभा द्वारा प्रतिपादित नियमों को ध्यान में रखते हुए ग्राम सभा को अपने क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम करने का मौलिक दायित्व होगा। ग्राम सभा अपने समुदाय की परम्परा के अनुरूप ग्राम सभा क्षेत्र में निम्न कारवाईयों/कार्यों के लिए सक्षम होगी-

I. भय रहित शांत माहौल कायम करना,
II. ग्राम सभा के नागरिको की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एवं आत्मसम्मान की रक्षा करना,
III. महिलाओं , वृद्धो एवं बच्चों के साथ दुर्व्यवहार, सार्वजनिक स्थानों पर झगड़े इत्यादि सहित असामाजिक तत्वों के द्वारा किये जाने वाले दुराचार पर रोक लगाना,
IV. विवादों का समाधान पारंपरिक रीति रिवाजों एवं प्रथागत कानून के अनुसार किया जाना,

(4) ग्राम में शांति व्यवस्था बनाये रखना ग्राम सभा का उत्तरदायित्व होगा। एवं ग्राम सभा यह सुनिश्चित करेगी कि सुनवाई हेतु स्थायी समिति का गठन किया जाए जिसमें समिति के अंतर्गत शिक्षित, प्रतिष्ठित एवं प्रभावशाली व्यक्तियों को सदस्य बनाया जाए एवं ऐसे व्यक्तियों का कोई अपराधिक इतिहास न हो। परन्तु, प्रभावशाली व्यक्ति के संबंध में यह सुनिश्चित करना होगा कि वो समिति के सदस्यों पर दबाव न बना सके। यदि समिति सदस्यों पर अपराध का आरोप या पीड़ित के रूप में आवेदन किया हो तो, ऐसे सदस्य समिति के सदस्य के रूप में सुनवाई प्रक्रिया में भाग नहीं लेंगे। पारम्परिक रीति-रिवाज के अनुसार मान्यता प्राप्त व्यक्ति जो मांझी, मुण्डा-मानकी, पड़हा राजा, परगनैत, पाहन, महतो या किसी भी अन्य नाम से जाने जाते हों, उनका स्थायी समिति द्वारा सुनवाई में सहयोग लिया जाना अनिवार्य होगा। यह समिति निम्न कार्यों को ग्राम सभा की निर्देश में कार्य कर सकेगी:-

I. ग्राम-सभा के निर्देशानुसार स्थायी समिति संविधान के सिंद्धातों का पालन करते हुए निर्णय ले सकेगी।

II. पड़ोस के गाँव के साथ बेहतर एवं सौहार्द पूर्ण संबंध सुनिश्चित करना एवं पड़ोसी गाँव से विवादित मुद्दों पर परस्पर बातचीत करना।

III. ग्राम की शांति भंग करने वाली घटनाओं, को संज्ञान में लेना, उनकी जांच कर अग्रेतर कार्यवाही करना।

DRAFT

IV. शांति भंग करने वालों को समझाना, यदि आवश्यक हो तो अविलंब इसका प्रतिवेदन ग्राम सभा को सौपना ।

V. यदि विवादों का निपटारा पारम्परिक ग्राम सभा या पारम्परिक व्यवस्था के उच्चतम स्तर पर नहीं हो पाता है तो ग्राम सभा प्रतिवेदन तैयार कर उपर्युक्त कार्रवाई के लिए न्यायलय से अनुरोध करेगी।

VI. ग्राम सभा द्वारा जानमाल की सुरक्षा करना एवं शांति व्यवस्था कायम करना ।

VII. अंधविश्वास एवं जादू टोना से संबन्धित मुद्दों पर ग्राम सभा खुली बैठक में विचार विमर्श करेगी।

VIII. ग्राम सभा अंधविश्वास, जादू टोना, डायन बिसाही, ओझा आदि के संभावित घटनाओं को रोकने के लिए तथा इन कुरीतियों को समाप्त करने हेतु यथा संभव अभियान चलाएगी।

(5) पारम्परिक ग्राम सभा में विवादों की सुनवाई:

I. पारम्परिक ग्राम सभा के समक्ष शिकायत ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा लिखित एवं मौखिक माध्यमों से लाया जा सकता है।

II. यदि किसी व्यक्ति/व्यक्तियों के द्वारा ग्राम सभा में विवाद को लाया जाता है तो ग्राम सभा इस पर 8 दिनों के अन्दर विचार करेगी और सुनवाई के लिए तिथि निर्धारित करेगी।

III. पारम्परिक ग्राम सभा परम्परागत एवं पारिवारिक विवाद जैसे मुद्दे जिसे आपसी चर्चा से सुलझाया जा सके वैसे मुद्दों की सुनवाई करेगी एवं उसका लिखित दस्तावेज रखेगी । ग्राम सभा पारिवारिक एवं गाँव अंतर्गत जमीन सम्बंधित सीमा विवाद जैसे मुद्दों को भी चर्चा के माध्यम से सुलझाएगी ।

IV. ग्राम सभा भारतीय न्याय संहिता, 2023 प्रवृत के उपरांत भारतीय दंड संहिता 1860 की सुसंगत धारायें यथा संसोधित /प्रतिस्थापित के अंतर्गत परिशिष्ट 1 में वर्णित मुद्दे को स्थानीय स्तर पर सुनवाई करेगी ।

V. पारम्परिक ग्राम सभा गंभीर अपराधिक सम्बंधित मुद्दों को (परिशिष्ट-1 के मुद्दों को छोड़कर) निकटतम थाना प्रभारी को तत्काल में सूचित करेगी ।

VI. ग्राम सभा गम्भीर वित्तीय/आर्थिक सम्बंधित मुद्दों को (परिशिष्ट-1 के मुद्दों को छोड़कर) विलकिसन रूल के अनुरूप कोल्हान अधीक्षक (कोल्हान क्षेत्र के लिए विशेष) या अन्य क्षेत्रों के लिए समकक्ष पदाधिकारी अथवा अनुमंडल पदाधिकारी को अग्रसारित करेंगे।

VII. गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग समय- समय पर नियम में बदलाव करके अन्य मुद्दों को ग्राम सभा को हस्तांतरित कर सकेगी एवं सुनवायी से सम्बंधित संधारित किये जाने वाले मामलों के दस्तावेजीकरण की कार्रवाई प्रक्रिया सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा निर्धारित की जाएगी।

VIII. किसी विवाद पर सुनवाई अनिवार्य रूप से सार्वजनिक स्थान पर होगी।

IX. ग्राम सभा या ग्राम सभा की स्थायी समिति विहित रीति से मामले की सुनवाई के लिए सक्षम होगी एवं निर्णयानुसार समुचित कार्यवाई के लिए सक्षम होगी।

X. विवादों का निर्णय करते समय प्राकृतिक न्याय , प्रथागत कानूनों के सिद्धांतो, , रूढ़िजन्य विधि को ध्यान में रखना होगा।

XI. अंतिम निर्णय पर पहुँचने के पूर्व दोनों पक्ष के व्यक्ति/यक्तियों तथा कारवाई में सक्रिय रूप से शामिल सभी अन्य लोगों को अपने विचारों को व्यक्त करने का पर्याप्त मौका दिया जाएगा।

XII. सभी लोगों/पक्षों की राय को सुनने के बाद सम्बंधित समिति मामले पर अपने निष्कर्षों एवं अनुशंसा को ग्राम सभा के समक्ष आगे की कारवाई के लिए प्रस्तुत करेगी एवं तदनुसार ग्राम सभा निर्णय लेगी। ग्राम सभा यह सुनिश्चित करेगी की ग्राम सभा में दोनों पक्षों से सम्बंधित व्यक्तियों का समिति या ग्राम सभा के निर्णय में भागीदारी नहीं हो ।

DRAFT

xiii. निर्णय की प्रति दोनों पक्षों को दी जाएगी एवं उसकी एक प्रति ग्राम सभा में भी संधारण की जाएगी।

(6) पुलिस की भूमिका :

i. यथासंभव पुलिस गिरफ्तारी से पहले ग्राम सभा की अनुमति प्राप्त करेगी।
ii. पुलिस को 48 घंटे के अंदर गिरफ़्तारी के संबंध में पूरी जानकारी ग्राम सभा को देनी होगी।
iii. ऐसे मामलों में जहां पुलिस को ग्राम से परामर्श किए बिना गिरफ्तारी करनी पड़ती है यह जिम्मेदारी पुलिस की होगी मामले की विस्तृत जानकारी जल्द से जल्द ग्राम सभा को देगी। यह अवधि 15 दिन से अधिक नहीं हो सकती।

(7) पारम्परिक ग्राम सभा के द्वारा दंड:

I. जहां क्षति करने की कोई नियत नहीं हो तो वैसी स्थिति में अपनी भूल को स्वीकारना, ग्राम सभा के सामने पश्चाताप करना, गलती के लिए क्षमा मांगना और ऐसी गलती दोबारा नहीं करने की प्रतिज्ञा करने को उपयुक्त दंड माना जाएगा।
II. कोई भी व्यक्ति (आरोपी) अगर पारंपरिक रूढ़ि प्रथा, आदिवासी शासन व्यवस्था के तहत पारंपरिक न्याय पद्धति के तहत लिए गए निर्णय को अपमान या अवमानना करती है तो (अपीलीय के अधिकार को अस्वीकार या अपमान के दृष्टि से नहीं देखा जाएगा) ग्राम सभा द्वारा रूढ़िवादी आदिवासी पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था के न्याय व्यवस्था के तहत सामुहिक असहयोग का दंड देने का अधिकार होगा।
III. ग्राम सभा को कारावास की सजा देने का कोई अधिकार नहीं होगा।
IV. ग्राम सभा आर्थिक दंड अधिकतम रू- 1000 तक का निर्धारण आर्थिक नुकसान एवं व्यक्ति की सक्षमता को देख कर कर सकेगी। जिसे ग्राम सभा के कोष में जमा करना अनिवार्य होगा। ग्राम सभा दण्डित व्यक्ति के अपीलीय अधिकार का पालन करेगी।

(8) पारम्परिक ग्राम सभा के निर्णय पर अपीलीय अधिकार:

(I) पारम्परिक ग्राम सभा के निर्णय से किसी पक्षकार की असहमति की स्थिति में पक्षकार सर्वप्रथम अपने समाज के उपरी सामाजिक पारम्परिक व्यवस्था यथा, मोडे मांझी, पड़हा राजा, मांझी परगना इत्यादि के समक्ष उच्चतम स्तर (बहुस्तरीय) पर अपील कर सकेंगे।
(II) उच्चतर स्तर के पारम्परिक ग्राम सभा के निर्णय से यदि किसी पक्षकार की असहमति की स्थिति में पक्षकार न्यायलय, या अनुमंडल पदाधिकारी के समक्ष निर्णय से 30 दिनों के अन्दर पुर्नविचार हेतु अपील कर सकेगी।

DRAFT

अध्याय- 10
विकास योजना का अनुमोदन, लाभार्थियों का पहचान एवं सामाजिक क्षेत्र के संस्थाओं के कार्यों पर नियंत्रण

24. विकास योजनाओं का प्रस्तावन एवं अनुमोदन:

(1) पारम्परिक ग्राम सभा द्वारा कार्यक्रमों का प्रस्तावन एवं अनुमोदन:-

(क) ग्राम सभा भारत के संविधान के अनुच्छेद 275 (1) की योजनाओं, राज्य की योजनाओं, जनजातीय उप-योजना, जिले में चल रही जिला खनिज निधि न्यास (DMFT) तथा गाँव की सभी सामजिक-आर्थिक विकास की योजनाओं को अनुमोदित करेगी ।

(ख) पंचायतें , कोई भी सरकारी विभाग या अन्य कोई संस्थान के लिये अनिवार्य होगा कि वह गांव की योजनाओं एवं परियोजनाओं को लागू करने के पूर्व संबंधित ग्राम सभा या सभी ग्राम सभाओं (परियोजना के भौगोलिक क्षेत्रानुसार) की स्वीकृति प्राप्त करे।

I. गांव में किसी कार्यक्रम या परियोजना की शुरुआत करने के पूर्व पंचायतें , कोई भी सरकारी विभाग या अन्य कोई संस्थान इसकी स्वीकृति के लिये ग्रामसभा को लिखित प्रस्ताव भेजेंगी । ग्राम सभा द्वारा पत्र प्राप्ति के 30 दिनों के अन्दर प्रस्तुत योजना पर निर्णय देना अनिवार्य होगा अन्यथा योजना स्वतः स्वीकृत माना जाएगा। ग्राम सभा के सचिव प्रस्ताव प्राप्ति की तिथि को पत्र प्राप्ति रजिस्टर में लिखेंगे एवं अध्यक्ष को इसकी लिखित सूचना देंगे। अध्यक्ष 15 दिनों के अन्दर ग्राम सभा की बैठक कराना सुनिश्चित करेंगें। परन्तु, विशेष परिस्थिति में जब ग्राम सभा सुनवाई जारी हो परन्तु तय समय -सीमा में ग्राम सभा निर्णय लेने में असमर्थ हो तो ऐसे परिस्थिति में ग्राम सभा अलग से 30 दिनों का समय ले सकेगी एवं उप-विकास आयुक्त को लिखित रूप से प्रारंभिक समय सीमा के अंतर्गत सूचित करेगी।

(ग) संबंधित संस्थान अपने प्रस्ताव में योजना/ परियोजना की पूरी तकनीकी और वित्तीय जानकारी ग्रामसभा के समक्ष प्रस्तुत करेगी। ग्राम सभा कभी भी, वांछित सूचनाओं/जानकारियों की मांग कर सकती है। ग्राम सभा के समक्ष प्रस्ताव में निम्न सूचनाओं का होना अनिवार्य होगा :

I. कार्यक्रम का महत्व एवं प्रासंगिकता, कार्यक्रम से होने वाले लाभ (संरचना के स्तर पर, सेवाओं के स्तर पर, स्थानीय लोगों को मिलने वाले रोज़गार, आजीविका के स्तर इत्यादि)।

II. कार्यक्रम का पूर्ण वित्तीय विवरण, जैसे- बजट, व्यय की अवधि, व्यय का स्वरुप, वित्तीय मदद (यदि कोई हो तो), निधि का स्त्रोत आदि।

III. निर्माण कार्य एवं उसके विविध आयाम, निर्माण सामग्री, तकनीक और योजना के अनुसार मशीनों का प्रयोग, स्थानीय श्रमिकों की भागीदारी, संवेदकों की भूमिका, इत्यादि से संबंधित मामले।

(घ) यह ग्रामसभा का अधिकार होगा कि:

I. संबंधित संस्थान/विभाग/एजेंसी के द्वारा प्रस्तुत योजना, कार्यक्रम या परियोजना को उसी रूप में स्वीकृत करे, या कोई शर्त लगाये ।

II. कार्यक्रम के लिये अनुमोदन देते समय, गांव की स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव में आवश्यक बदलाव का निर्देश ग्राम सभा दे सकेगी ।

III. ग्राम सभा द्वारा यह अनुमोदन, संशोधन या रद्द करने का प्रस्ताव (ग्राम सभा की बैठक के एजेंडे में) लिखित आवेदन प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर ही लाया जा सकेगा अन्यथा प्रस्ताव स्वतः स्वीकृत माना जाएगा। ग्रामसभा का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा। परन्तु विवाद की स्थिति में24.3 (ग) के अनुसार उपचार किया जाएगा।

(2) ग्राम सभा द्वारा कार्यक्रमों की निगरानी:

(क) ग्रामसभा की बैठकों में, उसके क्षेत्र में कार्य करने वाली सभी सरकारी एवं गैर-सरकारी एजेंसियों के द्वारा गांव में चल रहे प्रत्येक कार्य से संबंधित का विवरण नियम 26 (क) के प्रारूप अनुसार में प्रत्येक छमाही में दिये जायेंगे। पारम्परिक ग्राम सभा जब आवश्यक समझे, गाँव में चल रहे कार्यों की प्रगति प्रतिवेदन सम्बंधित एजेंसी से मांगकर सकती है। जिसे सम्बंधित सरकारी एवं गैर-सरकारी एजेंसियों द्वारा 30 दिनों के अन्दर उपलब्ध करना सुनिश्चित किया जाएगा।

DRAFT

(ख) कार्य की गुणवत्ता, व्यय के प्रमाणन इत्यादि से संबंधित किसी आपत्ति को ग्रामसभा के सामने प्रस्तुत किया जायेगा। ग्राम सभा मुद्दे की जांच आवश्यकता पड़ने पर कर सकती है एवं सुधार के लिये उचित निर्देश दे सकती है ।

(ग) किसी कार्यक्रम के पूरा होने/समाप्त होने पर,उसका पूरा ब्यौरा सम्बंधित एजेंसी/विभाग द्वारा ग्रामसभा की अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा।

(3) ग्रामसभा के निर्णयों का अनुपालन :

(क) यदि किसी सरकारी विभाग/संस्थान/एजेंसी एवं ग्राम पंचायत के द्वारा किसी योजना विशेष के क्रियान्वयन की सुगमता के लिए गाँव के स्तर पर समिति के गठन की आवश्यकता महसूस की जाती है, तो इस प्रस्ताव को सम्बंधित ग्राम सभा को दिया जाना अनिवार्य होगा। ग्राम सभा इस नियमावली की नियम 20 के अनुसार कार्यवाही कर सकेगी।

(ख) ग्राम पंचायत और इसकी समितियां, ग्राम सभा के नियंत्रण एवं उसके दिशा-निर्देश में कार्य करेंगी और वे पूर्ण रूप से ग्रामसभा के प्रति उत्तरदायी होंगी।

(ग) यदि ग्राम सभा नियम 24.1 एवं नियम 24.2 में उल्लेखित अधिकारों का प्रयोग करते समय, ऐसा निर्णय लेती है, जिससे किसी विभाग/संस्थान/एजेंसी या अधिकारी के आधिकारिक कार्य में कोई चुनौती पैदा होता हो या चुनौती होने की संभावना हो तो, निम्न प्रकार की कार्यवाही की जा सकती है:

I. संबंधित विभाग का प्रतिनिधि ऐसे मुद्दे पर कार्रवाई स्थगित करेंगे और अपने दृष्टिकोण को ग्रामसभा में प्रस्तुति करेंगे एवं निर्णय पर पुनर्विचार करने का अनुरोध करेंगे ।

II. यदि विभाग ग्राम सभा के निर्णय से संतुष्ट नहीं है, तो विभाग उस मामले को जिला-उपायुक्त के पास रख सकेगी । उपायुक्त, ग्राम सभा और सम्बंधित विभाग के प्रतिनिधियों की संयुक्त बैठक बुलाकर विवादित मामले पर चर्चा करेगी एवं प्राप्त आवेदन पर 90 दिनों के अन्दर निर्णय लिया जाएगा । मामले के निष्पादन हेतु उपायुक्त संबन्धित विभाग को निर्णय हेतु प्रतिवेदित करेंगे ।

(4) श्रम बल के लिए ग्राम सभा के द्वारा योजना बनाना:

(क) ग्राम सभा अपने अधीनस्थ क्षेत्र में वन संबंधी, इत्यादि कार्यों के संचालन के लिए श्रम बल के पूर्ण उपयोग हेतु सक्षम होगी।

(ख) ग्राम सभा ग्रामीणों के बीच आपसी सहयोग एवं उनके ज्ञान को साझा करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन कार्यक्रम कर सकती है।

(5) गांव के प्रवासी श्रमिक: श्रम बल के लिए ग्राम सभा के द्वारा योजना बनाना

(क) प्रवासी महिलाओं एवं पुरुष का रिकॉर्ड ग्राम सभा रखेगी । ग्रामीणों को विशेष रूप से अविवाहित महिलाओं एवं नाबालिगों को गाँव के बाहर ले जानेवाले व्यक्तियों और संस्थानों को बाहर ले जाने से पूर्व, ग्राम सभा की पूर्वानुमति प्राप्त करना, नियोक्ता एवं कार्यस्थल का पूरा पता, संपर्क नम्बर, वेतन की प्रकृति, भुगतान का तरीका, कार्य की शर्तें, इत्यादि की जानकारी लिखित रूप में ग्राम सभा को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

(ख) पारम्परिक ग्राम सभा सुनिश्चित करेगी कि गाँव से बाहर जा रहे सभी व्यक्तियों के पास काम और अनुबंध के बारे में पूरी एवं सही सूचना हो । यदि बाहर जाने के भत्ते के रूप में उन्हें कोई अग्रिम दिया जाना है, तो उस राशि को पारम्परिक ग्राम सभा के सामने दिया जाएगा ।

(ग) उपर्युक्त प्रक्रिया के अनुसार ग्राम सभा की अनुमति मिलने के पश्चात ही ग्रामीणों को काम के लिए बाहर ले जाना संभव हो सकेगा। नियोक्ता द्वारा प्रक्रिया नहीं पालन करने पर कार्यवाई का अधिकार ग्राम सभा का होगा।

DRAFT

(घ) किशोरियों और बालिकाओं को बिचैलियों से बचाने के लिए, ग्राम सभा जैसा उचित समझे, व्यवस्था बनाने के लिए सक्षम होगी । सरकारी एवं संगठित क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के अलावे, निजी या असंगठित क्षेत्र के प्रबन्धकों के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे संबंधित ग्राम सभा को प्रवासी ग्रामीणों (विशेषकर महिलाऐं, लड़कियाँ एवं नाबालिग बच्चें) लड़कियों की सलामती के बारे में समय-समय पर सूचित करे ।

25. लाभार्थियों की पहचान:

लाभार्थियों का चयन ग्राम सभा के महत्वपूर्ण अधिकारों में से एक है। योजनाओं के लिए लाभार्थियों के चयन के समय निम्न नियमों/प्रक्रियाओं/मापदंडों का अनुपालन करना आवश्यक होगा:

(1) योजना विशेष में लाभार्थियों के लिए निर्धारित योग्यता/पात्रता को ध्यान में रखते हुए सबसे वंचित समूह के सदस्य को प्रथम प्राथमिकता दी जायेगी।

I. लाभार्थियों के चयन में सर्वप्रथम (अति विशिष्ट पिछड़ी जनजातियों) PVTGs के सदस्य/सदस्यों को प्राथिकता दी जायेगी।

II. ग्राम सभा में विचारार्थ योजना में PVTG के सदस्य/सदस्यों की अनुपलब्धता या उक्त योजना का लाभ पूर्व में (अति विशिष्ट पिछड़ी जनजातियों) PVTG सदस्य को मिल रहने की स्थिति में अनुसूचित जनजाति समुदाय के एकल महिला/विधवा/वृद्ध -वृद्धा/महिला/विकलांग को प्राथमिकता दी जायेगी।

III. अनुसूचित जनजाति समुदाय की एकल महिला/विधवा/वृद्ध-वृद्धा/महिला/किसी भी कोटि या जाति के विकलांग सदस्य/सदस्यों की अनुपलब्धता या उक्त योजना का लाभ पूर्व में मिल रहने की स्थिति में अनुसूचित जनजाति समुदाय के पुरुष सदस्यों को प्राथमिकता दी जायेगी ।

IV. अनुसूचित जनजाति समुदाय के पुरुष परिवार/सदस्य/सदस्यों की अनुपलब्धता या उक्त योजना का लाभ पूर्व में मिल रहने की स्थिति में अनुसूचित जाति समुदाय के एकल महिला/विधवा/वृद्ध -वृद्धा/महिला/विकलांग महिला को प्राथमिकता दी जायेगी।

V. अनुसूचित जाति समुदाय की एकल महिला/विधवा/वृद्ध-वृद्धा/महिला/विकलांग सदस्य/सदस्यों की अनुपलब्धता या उक्त योजना का लाभ पूर्व में मिल रहने की स्थिति में अनुसूचित जाति समुदाय के पुरुष परिवार/सदस्यों को प्राथमिकता दी जायेगी।

VI. अनुसूचित जाति समुदाय के पुरुष परिवार/सदस्य/सदस्यों की अनुपलब्धता या उक्त योजना का लाभ पूर्व में मिल रहने की स्थिति में पिछड़ी जातियों के सबसे वंचित परिवार के एकल महिला/ट्रांसजेंडर/विधवा/वृद्ध -वृद्धा/महिला/विकलांग सदस्य/सदस्यों को प्राथमिकता दी जायेगी।

VII. पिछड़ी जातियों के सबसे वंचित परिवार की एकल महिला/विधवा/वृद्ध-वृद्धा/महिला/विकलांग सदस्य/सदस्यों की अनुपलब्धता या उक्त योजना का लाभ पूर्व में मिल रहने की स्थिति में पिछड़ी जातियों के सबसे वंचित परिवार के सदस्यों को प्राथमिकता दी जायेगी।

VIII. पिछड़ी जातियों के सबसे वंचित परिवार के पुरुष सदस्यों की अनुपलब्धता या उक्त योजना का लाभ पूर्व में मिल रहने की स्थिति में अन्य पिछड़ी जातियों/अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों/ आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों के चयन पर विचार कर सकेगी।

(2) चूँकि वांछित लाभार्थियों की संख्या और योजनाओं की उपलब्धता में हमेशा ही अंतर रहेगा, इसलिए ग्राम सभा योजनावार लाभार्थियों की प्राथमिकता सूची/प्रतीक्षा सूची तैयार करेगी।

(3) आपात स्थिति या गाँव के किसी परिवार के गंभीर रूप से आर्थिक संकटग्रस्त/मरणासन्न होने की स्थिति में ग्राम सभा प्राथमिकताओं के मापदंड को दरकिनार कर उस परिवार/व्यक्ति के हित में सर्वसम्मत से प्रस्ताव पारित कर सकती है परन्तु यह केवल अपवाद स्वरुप ही होगा।

DRAFT

(4) ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित होने के बाद अंतिम रूप से चयनित लाभार्थियों की सूची सम्बंधित विभागों या सक्षम पदाधिकारियों को उपलब्ध कराई जायेगी। संबंधित विभाग और सक्षम पदाधिकारियों के लिए इस सूची को मानना बाध्यकारी होगा।

26. सामाजिक क्षेत्र की संस्थाओं का अनुश्रवण :

(1) पारम्परिक ग्राम सभा यह सुनिश्चित करेगी कि गाँव के सभी लोगों को भोजन, पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य, टीकाकरण, स्वच्छता, पेयजल आदि सामाजिक सुविधायें नियमित रूप से मिले। इसके लिए ग्राम सभा;

(क) सामाजिक प्रक्षेत्र में काम करने वाली संस्थाएं अपने कार्यक्रमों से सम्बंधित वार्षिक विवरणी ग्राम सभा को समर्पित करेंगी तथा ग्राम सभा की सहमति सेसम्बंधित गाँव में कार्यों का क्रियान्वन करेगी। वार्षिक विवरणी देते समय, ग्राम सभा को निम्न जानकारी उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा:

I. कार्य का नाम
II. कार्य का संक्षिप्त विवरण
III. कार्य के लिए स्वीकृत राशि
IV. कार्य स्वीकृत होने की तिथि
V. कार्य समाप्त होने की तिथि अथवा चालू कार्य की स्थिति
VI. कार्य कराने वाली एजेंसी का नाम एवं संबधित पदाधिकारियों की अद्यतन जानकारी
VII. कार्य शुरू होने की तिथि
VIII. कार्य समाप्त होने की तिथि
IX. लाभुकों की सूची
X. कार्य से गाँव में होने वाले लाभ
XI. आवदेन जमा करने की प्रक्रिया एवं लाभार्थी के चयन की प्रक्रिया।

(ख) ग्रामसभा सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं/कार्यक्रमों से जुड़े स्थानीय संस्थानों (सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थान) जैसे-स्कूल, अस्पताल, जनवितरण प्रणाली की दुकानें, आंगनवाडी केंद्र एवं कर्मियों जैसे-आंगनबाडी कार्यकर्ता /बैंक सखी/ महिला समूह/ पारा शिक्षक / सहिया/जल सहिया/पोषण सखी इत्यादि की समय-समय पर समीक्षा करने के लिये सक्षम होगी।

(ग) ग्राम सभा सामाजिक क्षेत्र की संस्थाओं की आधारभूत संरचना की स्थिति, उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं तक लोगों की पहुँच, उपलब्ध सुविधाएं,सेवायें, कर्मियों के काम और विशिष्ट भूमिका, उसका प्रभाव और सेवाओं को देने में हो रही कठिनाईयाँ आदि की अद्यतन स्थिति और यथोचित कारवाई के लिए साल में कम से कम चार बार समीक्षा बैठक करेगी।

(घ) तकनीकी विषयों यथा स्वाथ्य, शिक्षा, पोषण ,संसाधनों के प्रबंधन, निर्माण आदि की समीक्षा के लिए ग्रामसभा विशेषज्ञों की कार्यदल बना सकती है। इस कार्यदल में ग्राम सभा अन्य दूसरे गाँव या अन्य जिलों के विशेषज्ञों को शामिल कर सकती है। यह टास्क फ़ोर्स ग्राम सभा के निर्देशन और नियंत्रण में काम करेगी।

(ङ) स्थानीय संस्थानों की सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं के क्रियान्वयन में सुधार के लिये ग्रामसभा के द्वारा दिये गये निर्देशों का संबंधित सरकारी और गैर सरकारी संस्थान एवं उनके कर्मियों के द्वारा पालन किया जाएगा और पालन प्रतिवेदन निर्देश प्राप्ति के एक माह के भीतर लिखित मे ग्राम सभा अध्यक्ष को उपलब्ध करवाया जाएगा।

DRAFT

(2) ग्राम सभा द्वारा सामजिक अंकेक्षण : जमीनी स्तर पर चल रही योजनाओं की गुणवत्ता जाँच तथा मूल्यांकन के लिए, ग्राम सभा योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण करेगी। इसके लिए ग्राम सभा विशेषज्ञों की एक समिति बना सकती है।

(क) सामाजिक अंकेक्षण के लिए, योजनाओं के चयनोपरांत उस कार्यक्रम या योजना से सम्बंधित आवश्यक दस्तावेज ग्राम सभा द्वारा एकत्र किए जायेंगे। ग्राम सभा सम्बंधित विभाग से दस्तावेज की मांग लिखित कर सकेगी और विभाग/संस्थान, दस्तावेजों को 30 दिन की अविधि के अन्दर ग्राम सभा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगी ।

(ख) विशेषज्ञों का दल ग्राम सभा के लिए दस्तावेजों को सरलीकरण करेगा एवं उनका वास्तविक दस्तावेजों से जमीन स्तर से सर्वप्रथम मिलान करेगी। फिर जमीन पर जाकर योजना क्रियान्वयन की जांच करेगी एवं दस्तावेज में दर्शाए गए मानक से तुलनात्मक मिलान करेगी। साथ ही सामाजिक अंकेक्षण टीम उन सभी कामगारों से भी प्रश्न कर सकेगी जिनका नाम मस्टर रोल में उल्लेखित है। जमीनी स्तर पर जाँच करने के पश्चात सामाजिक अंकेक्षण टीम एक रिपोर्ट तैयार करेगी। यह रिपोर्ट सामाजिक अंकेक्षण के टीम द्वारा ग्राम सभा की खुली बैठक में पढ़कर सुनाई जाएगी। ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा जो आपत्तियां बताई जाती है उन्हें सामाजिक अंकेक्षण टीम के द्वारा लिखा जाएगा। ग्राम सभा सभी ग्रामीणों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, निम्न कार्यो की जिम्मेवारी अलग-अलग किन्तु जागरूक नागरिकों को सौंप सकती है:

I. सरकारी योजना या कार्यक्रम का चयन प्रक्रिया का अध्ययन करना।
II. योजना से सम्बंधित दस्तावेजों का एकत्रिकृत करना।
III. तथ्यों का सरलीकरण करना।
IV. दस्तावेजों की जाँच करना।
V. कार्यों की जमीनी स्तर पर जाँच करना।
VI. दस्तावेजों और कार्यो का मिलान करना।
VII. रिपोर्ट तैयार करना।
VIII. रिपोर्ट ग्राम सभा मे पढ़कर सुनाना।
IX. आपत्तियों को लिखना।
X. रिपोर्ट को जमा करना।

(ग) यदि ग्राम सभा में योजना या कार्यक्रम में रिपोर्ट जमा करने पर योजना एवं कार्यक्रम के विरुद्ध आपत्तियां दर्ज होती हैं तो ग्राम सभा 30 दिन के अन्दर संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारियों के पास ग्राम सभा की अनुसंशा सहित कार्यवाही हेतु भेजेगी।

(घ) सम्बंधित विभाग 60 दिनों के अंतर्गत विभाग द्वारा किए गए कार्यवाई पर ग्राम सभा को सूचना प्रेषित करेगी। परन्तु कारवाई से संतुष्ट न होने की दशा में ग्राम सभा अग्रेतर कार्रवाई हेतु संबंधित विभाग के निदेशक/ MD/ सीईओ/ अन्य समकक्ष को सुचित करेगी।

27. ग्राम सभा द्वारा निधियों के उपयोग का अभिप्रमाणित किया जाना:-

(1) पंचायतों के क्षेत्र में चल रहे प्रत्येक पूर्ण कार्य की विवरणी, सम्बंधित ग्राम सभा को लाभार्थियों की सूची सहित कार्य का अंतिम भुगतान होने के 90 दिनों के अंतर्गत ग्राम सभा को समर्पित करेगी। 90 दिनों के अंतर्गत न जमा कर पाने की स्थिति में ग्राम सभा उचित कारणों को सुनने के पश्चात ही निधियों के उपयोग को अभिप्रमाणित कर सकेगी। ग्राम सभा के समक्ष निम्न फॉर्मेट में दस्तावेज जमा किया जायेगा -

I. कार्य का नाम

DRAFT

II. कार्य का संक्षिप्त विवरण
III. कार्य के लिए स्वीकृत राशि (शीर्षवार)
IV. कार्य स्वीकृत होने की तिथि
V. कार्य समाप्त होने की तिथि अथवा चालू कार्य की स्थिति
VI. कार्य कराने वाली एजेंसी का नाम/संबंधित पदाधिकारियों का नाम अर्हत्ता, चयन प्रक्रिया, आवेदन की समय-सीमा एवं प्रक्रिया आवश्यक दस्तावेजों की सूची
VII. कार्य शुरू होने की तिथि
VIII. कार्य समाप्त होने की तिथि
IX. कार्य के लिए ठेका किस दर पर दिया गया
X. कितनी राशि का भुगतान किया जा चुका है (शीर्षवार)
XI. कार्य के रेखाचित्र की प्रमाणित प्रति
XII. कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति एवं इससे संबंधित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति
XIII. कार्य के कार्य आदेश रजिस्टर एवं श्रम पंजी/ मस्टर रोल की प्रति उपलब्ध कराएं।
XIV. अधिकारियों/ कर्मचारियों का नाम व पद बताएं जिहोंने कार्य का निरीक्षण किया और भुगतान की स्वीकृति दी।

(2) पंचायतों से प्राप्त जानकारियों को ग्राम सभा की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा और यदि कार्य की गुणवत्ता/ व्यय के संबंध में कोई आपत्ति है तो पंचायतों के सचिव से ग्राम सभा स्पष्टीकरण की मांग करेगी ।

(3) संपन्न कार्यों की गुणवत्ता और व्यय की गयी राशि को योजना के अनुरूप सही पाए जाने पर ग्राम सभा उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी करेगी एवं सक्षम होगी ।

(4) यदि ग्राम सभा को व्यय की गयी राशि को लेकर आपत्ति है और पंचायत के सचिव द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण से वह संतुष्ट नहीं है तो, मामले पर अग्रतर कारवाई हेतु ग्राम सभा संबंधित विभाग के सक्षम पदाधिकारी को लिखित सूचना उपलब्ध कराएगी।

DRAFT

अध्याय- 11
भूअर्जन एवं पुनर्स्थापन

28. भू-अर्जन एवं पुनर्स्थापना से पूर्व ग्राम सभा से मुक्त पूर्व ससूचित सलाह या सर्व सम्मति से सलाह प्राप्त करना अनिवार्य होगा I:

अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण से पूर्व ग्राम सभा से मुक्त पूर्व ससूचित सलाह या सर्व सम्मति से सलाह Jharkhand Rights to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Rules, 2015 के नियम 20 के अनुरूप होगा I (परिशिष्ट-2)

अध्याय- 12
लघु जल निकायों का प्रबंधन

29. लघु जल निकाय का प्रबंधन :

(1) जल स्रोतों का नियोजन एवं प्रबंधन

(क) जल स्रोतों का प्रबन्धन एवं उपयोग इस प्रकार किया जाएगा कि इन्हें आगामी पीढ़ियों के लिए बरकरार रखा जाय एवं सभी ग्रामीणों का इस पर बराबर अधिकार हो।

(ख) ग्राम पंचायत के अंतर्गत जल निकायों को ग्राम पंचायत के द्वारा प्रबन्धित किया जायेगा और एक से ज्यादा ग्राम पंचायतों के क्षेत्रांतर्गत जल निकायों का पंचायत समिति के द्वारा एवं एक से ज्यादा प्रखंड के अंतर्गत लघु जल निकायों का प्रबंधन जिला परिषद् के द्वारा किया जाएगा।

(ग) अनुसूचित क्षेत्रों में मत्स्य पालन एवं पेयजल प्रबंधन, 10 हेक्टेयर तक के लघु जल निकाय ग्राम पंचायत, 10 हेक्टेयर से अधिक किन्तु 100 हेक्टेयर तक के लघु जल निकाय पंचायत समिति एवं 100 हेक्टेयर से अधिक किन्तु 200 हेक्टेयर तक के लघु जल निकाय जिला परिषद् द्वारा किया जाएगा।

(घ) ग्राम पंचायत या पंचायत समिति या जिला परिषद् (जैसी स्थिति हो), ग्राम सभा की परामर्श से परम्पराओं एवं लागू नियमों को ध्यान में रखते हुए, गांव में उपलब्ध प्राकृतिक जल स्रोत को विभिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए नियमित करेंगी एवं उपयोग की प्राथमिकता भी निर्धारित करेगी।

(ङ) त्रि-स्तरीय पंचायतों के लिए अनिवार्य होगा कि प्राकृतिक जल निकाय से सम्बन्धित कोई भी निर्णय लेने के पूर्व ग्राम सभा से परामर्श प्राप्त करें। ग्राम सभा द्वारा पत्र प्राप्ति के 30 दिनों के अन्दर प्रस्तुत योजना पर निर्णय देना अनिवार्य होगा अन्यथा योजना स्वतः स्वीकृत माना जाएगा। ग्राम सभा के सचिव प्रस्ताव प्राप्ति की तिथि को पत्र प्राप्ति रजिस्टर में लिखेंगे एवं अध्यक्ष को इसकी लिखित सूचना देंगे। अध्यक्ष 15 दिनों के अन्दर ग्राम सभा की बैठक कराना सुनिश्चित करेंगें। परन्तु, विशेष परिस्थिति में जब ग्राम सभा सुनवाई जारी हो परन्तु तय समय -सीमा में ग्राम सभा निर्णय लेने में असमर्थ हो तो ऐसे परिस्थिति में ग्राम सभा अलग से 30 दिनों का समय ले सकेगी एवं उप-विकास आयुक्त को लिखित में रूप से प्रारंभिक समयसीमा के अंतर्गत सूचित करेगी।

(2) सिंचाई का प्रबन्धन :

(क) ग्राम पंचायत या पंचायत समिति या जिला परिषद् (जैसी स्थिति हो), ग्राम सभा से सहमती लेने के बाद ही सिंचाई के लिए जल के उपयोग को विनियमित करेंगी।

(ख) सिंचाई के लिए जल का उपयोग इस प्रकार होगा कि सबकी समान पहुंच हो।

(ग) संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद को ग्राम सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। ग्राम सभा का निर्णय अंतिम एवं सभी के लिए बाध्यकारी होगा।

(घ) जल निकायों के प्रदुषण को रोकने हेतु ग्राम सभा आवश्यक निर्देश जारी कर सकेगी।

(3) **तालाब की भूमि का प्रबन्धन:** ग्राम पंचायत या पंचायत समिति या जिला परिषद् (जैसी स्थिति हो), सार्वजनिक प्राकृतिक संपदा समिति एवं संबंधित विभाग के परामर्श से सिंचाई या अन्य उदेश्यों के लिए निर्मित तालाब के जलस्तर में कमी से उपलब्ध भूमि पर खेती की व्यवस्था करेंगे।

DRAFT

(4) मछली पकड़ना, मखाना, पानी फल एवं अन्य उत्पाद :

(क) सभी व्यक्तियों को गांव के क्षेत्र के अधीन स्थित प्राकृतिक जल संसाधनों में परम्परा के अनुसार निजी उपभोग के लिए मछली पकड़ने का समान अधिकार होगा ।उक्त प्राकृतिक जल संसाधन किसी व्यक्ति विशेष अथवा संस्था के साथ सरकारी प्रावधानों के अंतर्गत बन्दोबस्त नही हो।

(ख) स्थानीय परम्पराओं को ध्यान में रखते हुए, ग्राम या एक से अधिक ग्राम के क्षेत्र के अंतर्गत तालाब/ आहर/पोखर/ डोभा है तो, ग्राम पंचायत मछली पकड़ने के किसी पहलू से संबंधित आवश्यक शर्तें लगा सकेगी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि एक या अधिक व्यक्ति अनुचित प्रकार से अपने क्षेत्राधिकार से आगे न बढ़े और मछलियों की उपलब्धता बनी रहे। ग्राम पंचायत ऐसी शर्त अंकित नहीं करेगी जो राजस्व जलकरों की बन्दोबस्ती के प्रावधनों के विपरीत हो

(ग) मछली पालन के लिए तालाब/आहर/पोखर से होने वाले उपज एवं अन्य उत्पाद की निलामी करने के पूर्व संबंधित ग्राम सभा/सभाओं की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा । ग्राम सभा को लिखित सूचना पत्र के माध्यम से प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाएगा। ग्राम सभा द्वारा पत्र प्राप्ति के 30 दिनों के अन्दर प्रस्तुत योजना पर निर्णय देना अनिवार्य होगा अन्यथा योजना स्वतः स्वीकृत माना जाएगा। ग्राम सभा के सचिव प्रस्ताव प्राप्ति की तिथि को पत्र प्राप्ति रजिस्टर में लिखेंगे एवं अध्यक्ष को इसकी लिखित सूचना देंगे। अध्यक्ष 15 दिनों के अन्दर ग्राम सभा की बैठक कराना सुनिश्चित करेंगें। परन्तु, विशेष परिस्थिति में जब ग्राम सभा सुनवाई जारी हो परन्तु तय समय -सीमा में ग्राम सभा निर्णय लेने में असमर्थ हो तो ऐसे परिस्थिति में ग्राम सभा अलग से 30 दिनों का समय ले सकेगी एवं उप-विकास आयुक्त को लिखित में रूप से प्रारंभिक समयसीमा के अंतर्गत सूचित करेगी।

(घ) मछली पालन की नीलामी प्राप्त राजस्व को उस तालाब/आहर/पोखर/डोभा के क्षेत्रफल में हिस्सेदारी के अनुपात में ग्राम सभाओं को 80% राशि वितरित की जाएगी एवं 20% समुचित स्तर पर नीलामी वाली पंचायतो को देय होगी। इस राशि का खर्च पंचायते मुख्यतः जल स्रोतो के प्रबंधन में कर सकेंगी। स्थानीय सहयोग समितिओं को प्राथमिकता दी जायेगी । ग्राम सभा प्राप्त राशि का ग्राम विकास के जरूरतों को ध्यान में रखते हुए राशि को खर्च कर सकती है ।

DRAFT

अध्याय- 13
लघु खनिज

30. लघु खनिजों के लिए ग्राम सभा द्वारा योजना तैयार करना

(1) ग्राम सभा द्वारा मिट्टी, पत्थर, बालू, मोरम इत्यादि सहित अपने क्षेत्र में पाये जाने वाले लघु खनिजों के लिए योजना बनाना।

(क) ग्राम सभा अपने क्षेत्र में पाये जाने वाले मिट्टी, पत्थर, बालू, मोरम इत्यादि सहित अन्य लघु खनिजों के लिए योजना बनाने और इसके उपयोग के लिए सक्षम होंगी।

(ख) ग्राम सभा के निर्देश एवं नियंत्रण में स्थायी समिति या ग्राम सभा , इस जिम्मेवारी का निर्वहन करेगी।

(ग) बालू घाट जिस ग्राम सीमा के अंतर्गत हो उसका सीमांकन जिला खनन पदाधिकारी/सहायक खनन पदाधिकारी द्वारा कराकर उसे संबंधित (Jharkhand State Sand Mining Policy, 2017 के अनुसार Category-1) बालू घाट को ग्राम सभाओं को सुपुर्द कर दिया जाएगा। ग्राम सभा स्वयं बालुघाट का संचालक होगी अथवा अपने स्तर से स्थानीय जरूरतों के लिए इस्तेमाल कर सकेगी । ग्राम सभा को सुपुर्द बालू घाट की इस्तेमाल से जो शुल्क/राजस्व प्राप्त होगा उसे ग्राम सभा अपने कोष में जमा कर इस राशि का व्यय ग्राम विकास अथवा स्थानीय विकास के लिए कर सकेगी। (झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली, 2004, अध्याय-3, कंडिका 12(2)

(घ) ग्राम सभा को हस्तांतरित बालू घाट में ग्राम सभा यह सुनिश्चित करेगी कि किसी भी परिस्थिति में नदी के तल में जेसीबी या अन्य किसी मशीन से बालू का खनन नहीं हो।

(ङ) ग्राम सभा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, भारत सरकार के निर्देशों के आलोक में मानसून सत्र की अवधि (झारखण्ड के सन्दर्भ में 10 जून से 15 अक्टूबर) में बालू के खनन और उठाव पर पूर्णतया रोक लगाया जाना सुनिश्चित करेगी।

(2) ग्रामीणों के द्वारा उपयोग: ग्रामीण परम्परागत प्रथाओं केअनुसार अपने निजी जरूरत के लिए लघु खनिजों का उपयोग कर सकते हैं लेकिन,

(क) खनिजों का उपयोग के लिए ग्राम सभा की अनुशंसा अनिवार्य होगी ।

(ख) व्यावसायिक आवश्यकताओं के लिए ग्राम सभा स्थानीय प्राकृतिक रूप से उपलब्ध सामग्रियों जैसे पत्थर, बालू, गिट्टी, मिट्टी एवं अन्य पाए जाने वाले प्राकृतिक लघु खनिज के प्रयोग की मात्रा खनन पट्टा हेतु स्वीकृति, प्रदूषण नियंत्रण पर्षद (JPCB) से प्राप्त सहमतियों के अनुरूप होगा एवं इस पर रायल्टी झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली, 2004 यथा संशोधित के प्रावधानों के अनुरूप अधिसूचित दर द्वारा राज्य सरकार के लिए खनन एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड प्राप्त करेंगी।

(ग) ग्राम सभा, खुदाई के सामान्य या दुषप्रभाव की क्षतिपूर्ति के लिए, खुदाई कर रहे व्यक्तियों की जिम्मेवारी भी तय कर सकती है, जैसे- गड्ढ़ों को भरना, पेड़ लगाना, तालाब का निर्माण इत्यादि।

(3) लघु खनिज का खनन पट्टा प्राप्त करने का अधिकार:

(क) झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली, 2004 के अध्याय 2 के उपबंध 5 (4) के तहत अनुसूचित क्षेत्रों से सम्बंधित ग्राम सभा की स्वतंत्र पूर्व संसूचित सहमति के बिना लघु खनिज का कोई खनन पट्टा अथवा खुली खान अनुमति पत्र निर्गत नहीं किया जाएगा। (झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली, 2014 के संशोधन के अलोक2014 में)

(ख) खनन पट्टा प्राप्त करने हेतु प्राथमिकता के आधार:

I. लघु खनिज के खनन पट्टे की स्वीकृति के लिए सर्वप्रथम अनुसूचित जनजाति के सहयोग समिति को प्राथमिकता दी जाएगी। उनके आवेदन की अनुपलब्धता पर ग्राम सभा के अन्य सदस्यों की सहयोग समिति को प्राथमिकता दी जाएगी। (अध्याय -3, उपबंध 13(1)(क)

II. अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के सदस्यों की सहयोग समिति का आवेदन उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के सदस्य को क्रमशः प्राथमिकता दी जायेगी। (अध्याय -3, उपबंध 13(1)(ख)

III. अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के सदस्यों की सहयोग समिति अथवा व्यक्ति के आवेदन उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में सामान्य वर्ग के सदस्यों की सहयोग समिति को प्राथमिकता दी जायेगी। (अध्याय -3, उपबंध 13(1)(ग)

(सहयोग समिति से अभिप्रेत है वह सहयोग समिति जो बिहार स्वालंबी सहयोग समिति अधिनियम, 1996, सहकारी समिति अधिनियम, 1935 के अंतर्गत विधिवत निबंधित हो)

(4) पर्यावरण संरक्षण:

(क) लघु खनिजों के उत्पादन की वाणिज्यिक संभावना वाले गावों में, लघु खनिजों के वाणिज्यिक रूप से उपयोग करने की अनुमति देने के पूर्व, खनिज विभाग को ग्राम सभा की अनुशंसा प्राप्त करना अनिवार्य होगा। ग्राम सभा की अनुशंसा प्राप्त करने हेतु लघु खनिजों के दोहन की पूर्ण कार्य योजना समर्पित करना अनिवार्य होगा।

DRAFT

(ख) लघु खनिजों के दोहन की योजना में उत्खनन क्षेत्र अंतर्गत खनन के दुष्प्रभावों जैसे गड्ढों का होना, पानी एवं वनस्पति का क्षरण, खेतों पर राख, धूल, धूएँ का प्रभाव इत्यादि के प्रबंधन की व्यवस्था में गड्ढों का भरा जाना, पौधे लगाना आदि शामिल होंगे।

(ग) यदि पर्यावरण संरक्षण इत्यादि के लिए, सरकार के द्वारा कोई शर्त लगायी गयी हो, तो संबंधित अधिकारी इस संबंध में ग्राम सभा को पूरी सूचना प्रदान करेगा।

(घ) सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों और विभिन्न पर्यावरण कानूनों के अनुपालन के लिए ग्राम सभा आदेश पारित कर सकती है।

(ङ) ग्राम सभा को आवश्यक लगे तो वह राज्य प्रदूषण बोर्ड से सलाह ले सकती है एवं सलाह प्रदान भी कर सकेगी ।

अध्याय- 14
मादक द्रव्यों का नियंत्रण

31. मादक द्रव्यों का विनियमन:

(1)

(क) अनुसूचित क्षेत्रों में परंपरागत ढंग से चावल से उत्पादित देशी शराब अनुसूचित जनजातियों के सदस्य निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए इलि, महुआ-शराब, पचवई, बोडें, डियंग, झारदा इत्यादि का विनिर्माण, उत्पादन, उपभोग, भंडारण, आदि कर सकेंगे, अर्थात

I. अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों द्वारा इलि, महुआ-शराब ,पचवई, बोडें, डियंग, झारदा इत्यादि का विनिर्माण घरेलू उपभोग तथा सामाजिक और धार्मिक समारोहों पर उपभोग के प्रयोजनों के लिये ही किया जायेगा।

II. इस प्रकार विनिर्मित इलि, महुआ-शराब, पचवई, बोडें, डियंग, झारा इत्यादि के भंडारण की **अधिकतम *सीमा ग्राम सभा तय कर सकेगी ।***

(ख) मादक द्रव्यों के विनिर्माण, विक्रय आदि को नियमित करने तथा प्रतिबंधित करने की ग्राम सभा की शक्ति -(1) ग्राम सभा को अपनी पारम्परिक सीमा क्षेत्र के भीतर मादक द्रव्यों के विनिर्माण, भंडारण, परिवहन, विक्रय और उपभोग को विनियंत्रित करने तथा प्रतिबंधित करने की शक्ति होगी।

(ग) ग्राम सभा की पारम्परिक सीमा क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा ग्रामसभा की सहमति या अनुज्ञा के बिना किसी मादक द्रव्य के विनिर्माण के लिये नयी विनिर्माणशाला स्थापित नहीं की जायेगी और मादक द्रव्यों के विक्रय के लिए कोई नया निकाय नहीं खोला जायेगा।

नियम ((ख) एवं (ग), के नियम पर ग्राम सभा द्वारा पारित किया गया प्रतिबंध, कोई आदेश ऐसे विनिर्माणशाला के मामले में लागू नहीं होगा, जो पूर्व से स्थापित प्रतिष्ठानों के विस्तार (Extension) उत्पाद एवं भंडारण क्षमता में विस्तार हेतु नवनिर्माण पर यह प्रावधान लागू नहीं होंगे और झारखण्ड उत्पाद (संशोधन) अधिनियम, 1915 से इस उपबंध के प्रवृत्त होने के पूर्व स्थापित की गयी हो।

(2) यदि कोई ग्रामसभा, अपने क्षेत्र में किसी मादक द्रव्य के विनिर्माण, भंडारण, विक्रय और उत्पादन को प्रतिबंधित करती है, तो उसके निम्नलिखित परिणाम होंगे

(क) ग्राम सभा की अधिकारिता के भीतर मादक द्रव्यों की कोई भी नयी विनिर्माणशाला स्थापित नहीं की जायेगी।

(ख) किसी मादक द्रव्य के विक्रय के लिये कोई नया निकाय नहीं खोला जायेगा और विवादास्पद निकास (यदि कोई हो) प्रतिषेध के आदेश के जारी होने के ठीक पश्चात आनेवाले आगामी वित्तीय वर्ष के प्रथम दिन से बंद कर दिया जायेगा।

(ग) कोई भी व्यक्ति, किसी ग्रामसभा क्षेत्र के भीतर किसी मादक द्रव्य का विनिर्माण, भंडारण, परिवहन, विक्रय का उपभोग नहीं करेगा।

DRAFT

(घ) ग्राम सभा लोगों के कल्याण से जुड़े मामलों पर किसी भी प्रकार का नशीला पदार्थ बनाने वाले फैक्टरी के मालिक को आवश्यक निर्देश दे सकती है अथवा उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के सक्षम पदाधिकारी को हस्तक्षेप करने के लिए कह सकती है।

(3) महिलाओं के विचारों का महत्वपूर्ण होना:

(क) उपर्युक्त विषयों में से किसी पर भी, ग्राम सभा में उपस्थित महिला सदस्यों के दृष्टिकोण को ग्राम सभा का दृष्टिकोण माना जाएगा और उस दृष्टिकोण के अनुसार ही इस संबंध में कार्रवाई की जाएगी।

(ख) मादक द्रव्यों के विनियमन के मुद्दे पर होने वाली ग्राम सभा की हर बैठक में महिलाओं की गणपूर्ति आवश्यक होगी।

अध्याय- 15
लघु वन उपज

32. लघु वन उपज

(1) लघु वन उपज संबंधित अधिकारः-

(क) ग्राम सभा क्षेत्र के सीमा के भीतर वन भूमि पर लघु वनोपज का स्वामित्व, संग्रहण का अधिकार तथा उसके उपयोग एवं निपटान का अधिकारों की मान्यता अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3 (1) एवं 3(1)(ग) में उपबंधित प्रावधानों के अनुसार होगा।

तथापि इस नियमावली में किसी बात को रहते हुए भी झारखण्ड राज्य में केन्दू पत्ती का संग्रहण, प्रबंधन एवं विपणन; बिहार केन्दू पत्ती (व्यापार-नियंत्रण) अधिनियम, 1973 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुरूप झारखण्ड राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, राँची द्वारा संग्रहकर्ता और/या ग्राम सभा के खाते में जमा किया जाएगा।

(ख) ग्राम सभा क्षेत्र के पारम्परिक सीमा के भीतर, वन भूमि पर किसी लघु वनोपज के स्वामित्व का अधिकार, किसी व्यक्ति या समुदाय को अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अनुसार सभी लघु वनोपज के स्वामित्व का अधिकार ग्राम सभा को होगा।।

(2) ग्राम सभा के कर्तव्य:- ग्राम सभा निम्न कर्तव्यों का निर्वहन करेगी-

(क) ग्राम सभा के अधिकार क्षेत्र में स्थित वनों के संरक्षण, संवर्धन और प्रबंधन की जिम्मेदारी अनूसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियतम, 2006 की धारा 3(1)(झ) तथा धारा 5 के अनुसार ग्राम सभा की होगी।

(ख) ग्राम सभा यह सुनिश्चित करेगी कि लघु वनोपज के संग्रहकर्ता द्वारा लघु वनोपज के संग्रहण के क्रम में वन, वन्यजीव एवं जैव विविधता की क्षति नहीं पहुँचाई गई हो।

(ग) किसी व्यक्ति द्वारा परम्परागत रूप से लघु वनोपज का संग्रहण, स्वामित्व एवं विपणन के विषय पर व्यक्तिगत दावों के मामलें में ग्राम सभा ऐसे दावों के सत्यापन के बाद बहुमत के आधार पर विवाद का निपटारा कर सकेगी।

(घ) बाँस के राईजोम (करील) को खोदने एवं निकालने तथा बाँस के फूल के आने के समय विदोहन को प्रतिबंधित करना ।

(ङ) ग्राम सभा वन संसाधनों के संरक्षण, संवर्धन और प्रबंधन का कार्य उसके द्वारा गठित ग्राम सभा या स्थायी समिति के माध्यम से करेगी। इस हेतु ग्रामसभा द्वारा आवेदन करने पर सरकार के समस्त विभाग सहायक करेंगे।

DRAFT

(च) ग्राम सभा परिवार और सामुदायिक जरूरतों जैसे निस्तार, चराई, जलावन, कृषि उपकरण बनाने के लिए सूखी और मरी लकड़ी, बांस तथा पारंपरिक संस्कार में लगने वाले पदार्थों के आवश्यकतानुसार, वन से निकालने के लिए व्यवस्था करेगी।

(छ) प्रत्येक ग्राम सभा अथवा ग्राम सभा समूह अपने-अपने क्षेत्रों में अपने सदस्यों के हितों, वनों के संरक्षण, संवर्धन और प्रबंधन, पर्यावरण में सुधार और स्थानीय रोजगार बढ़ाने के उद्देश्य से उपयुक्त कार्यक्रम बनाएगी।

(ज) लुप्त प्राय वन्यजीव एवं जैव प्रजातियों का संरक्षण एवं पुर्नवास कर स्थानीय जैव विविधता का पुनः स्थापन का प्रयास करेगी।

(3) वन से संबंधित विभागीय कार्यक्रमों के लिए ग्राम सभा के साथ परामर्श

(क) लघु वनोपज को छोड़कर वन भूमि से वन उपज के दोहन के लिए विभागीय कार्यक्रम तैयार करने के पूर्व वन विभाग, ग्राम सभा से परामर्श करेगी और ग्राम सभा ऐसी योजना को संशोधित/ असंशोधित रूप से अनुमोदित करने के लिए सक्षम होगी।

(ख) वन क्षेत्र से वन विभाग द्वारा ऐसे पेड़-पौधों का व्यवसायिक रूप से विदोहन नहीं किया जायेगा, जो स्थानीय लोगों के लिए उपयोग हेतु हो।

(4) लघु वन उपज का प्रबंधन एवं विपणन -

(क) अनुसूचित वन क्षेत्रों में वनों के सतत एवं परंपरागत प्रबंधन हेतु ग्राम सभा या ग्राम सभा की निर्धारित स्थायी समिति जिम्मेवार होगी:

परन्तु इसका आशय यह नहीं होगा कि वनभूमि ग्राम सभा/ग्राम पंचायत में निहित हो गई है।

(ख) उक्त समिति लघु वन उपज के प्रबंधन हेतु एक 5 वर्षीय सूक्ष्म प्रबंध योजना एवं वार्षिक कार्य योजना तैयार कर सकेगी। ग्राम सभा ऐसी योजना तैयार करने हेतु वन विभाग के वनपाल या सक्षम पदाधिकारी से सहयोग ले सकेगी।

(ग) ग्राम सभा सूक्ष्म प्रबंध योजना के जरिए लघु वनउपज का समुचित दोहन तथा जैव विविधता व जैविक स्रोतों का संरक्षण एवं संवर्धन कर सकेगी।

(घ) ग्राम सभा द्वारा लघु वनोपज के प्रत्येक संग्रहकर्ता का नाम, उनके द्वारा संग्रह किए जाने वाले लघु वनोपज, उसकी मात्रा इत्यादि अभिलेख पंजी में संधारित करेगा।

(ङ) लघु वनोपज की सीमित मात्रा होने की स्थिति में, ग्राम सभा आर्थिक रूप से कमजोर तथा संसाधन विहिन व्यक्तियों को प्रथमिकता देते हुए एक चक्रीय व्यवस्था बना सकती है।

(च) लघु वनोपज के संग्राहक/ग्राम सभा एकत्रित लघु वनोपज को अपनी पसंद के अनुसार बेचने के लिए स्वतंत्र है।

(छ) ग्राम सभा, झारखण्ड राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, राँची या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किसी अन्य सहकारी संघ या सरकार द्वारा गठित सहकारिता समिति या फेडरेशन को संग्राहक से निर्धारित मूल्यों पर लघु वनोपज क्रय कर बेचने के लिए अधिकृत कर सकता है।

परन्तु, झारखण्ड राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, राँची या अन्य अधिकृत समिति/संघ द्वारा लघु वनोपज के विक्रय के पश्चात परिवहन, विपणन, आदि में हुए खर्च की कटौती कर प्राप्त शुद्ध लाभ ग्राम सभा के खातों में जमा किया जाएगा।

(ज) ग्राम सभा को लघु वनोपज के विपणन से प्राप्त शुद्ध लाभ का उपयोग सामुदायिक विकास कार्यों और/या लघु वनोपज के उत्पादन को बढ़ाने के लिए किया जा सकेगा।

DRAFT

(झ) लघु वनोपज को सुचारू रूप से प्रबंधन एवं विपणन हेतु राज्य सरकार एवं समुचित स्तर के पंचायत द्वारा लघु वनोपज के मूल्य संवर्धन, बाजार लिंकेज इत्यादि में सहायता, प्रशिक्षण, लघु वन उपज विकास केन्द्र, मानव शक्ति इत्यादि उपलब्ध कराएगी।

(5) ग्राम सभा के द्वारा लघु वनोत्पाद का मूल्य, रॉयल्टी तय किया जाना

(क) लघु वनोपज के न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग या कोई अन्य सरकारी विभाग/संघ/समिति के द्वारा किया जा सकेगा।

(ख) एक या एक से अधिक ग्राम सभा चाहे तो संयुक्त रूप से वन विभाग के वनपाल या सक्षम प्राधिकार के सहयोग से वनोपज की खरीदी एवं बिक्री के लिए न्यूनतम मूल्य तय कर सकेगी। ग्राम सभा ऐसे न्यूनतम मूल्य पर क्रय तथा उसके बेचने या निपटान की व्यवस्था करेगी।

(ग) ग्राम सभा, लघु वनोपज पर संग्रहकर्ता या व्यापारी द्वारा देय रॉयल्टी का निर्धारण ग्राम सभा बैठक में कर सकेगी। प्राप्त कोष को ग्राम सभा के खाता में जमा किया जाएगा।

(घ) किसी अधिनियम, नियम या विनियमों के अधीन किसी सरकारी विभाग या सहकारी संघ या सहकारिता समिति के द्वारा संग्रहित लघु वनोपज को ग्राम सभा क्षेत्र के बाहर ले जाने के पूर्व, ग्राम सभा को संसूचित करना अनिवार्य होगा।

(ङ) यदि स्थानीय वन अधिकारी को किसी ग्राम सभा के क्षेत्र में वन अपराध या उसके होने के बारे में कोई जानकारी मिलती है तो वह सुसंगत वन एवं वन्य प्राणी अधिनियम के तहत विधिसम्मत कार्यवाही करेगा तथा की गई कार्यवाही के संबध में ग्राम सभा को सूचित करेगा।

अध्याय- 16
संक्रमित भूमि का प्रत्यावर्तन

33. अनुसूचित जनजाति की विधि विरुद्ध संक्रमित भूमि का प्रत्यावर्तन:-

(1) गाँव में भूमि के संबंध में, ग्राम सभा निम्न गतिविधियां कर सकती है:-

(क) ग्राम सभा सुनिश्चित करेगी कि कृषि योग्य भूमि किसी भी कारण से परती नहीं रहे और गाँव से बाहर गये प्रवासी लोगों, आश्रितों एवं नाबालिगो इत्यादि की भूमि पर खेती तथा ऐसी भूमि के लिए उचित व्यवस्था निर्धारित करेगी।

(ख) ऐसी व्यवस्था बनाना, जिससे कि प्रवासी लोगों की भूमि पर भूमिहीनों या जरूरतमंद लोगों के द्वारा खेती की जा सके और ऐसी खेती के लिए शर्ते बनाना।

(ग) गाँव के गृह विहीनों को गृह स्थल या गाँव के अंतर्गत गृह विहीनों को गृह स्थल उपलब्ध कराने हेतु गृह स्थल का चयन ग्राम सभा द्वारा किया जाएगा। गृह विहीनों की सूची ग्राम सभा की अनुसंशा के आलोक में बनायी जाएगी।

(घ) भूमि की गिरवी से संबन्धित सभी मामलों को ग्रामवासियों द्वारा ग्राम सभा के संज्ञान में लाया जाएगा। सी.एन.टी/एस.पी.टी एक्ट /विल्किल्सन रूल/ अन्य प्रथागत कानूनों के तहत नियम ही मान्य होगा।

(ङ) उपर्युक्त प्रावधान केवल अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के भूमि के सम्बन्ध में लागु होंगे।

(2) हस्तांतरित भूमि की वापसी:

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम एवं विलकिंसन नियम अंतर्गत आदिवासियों को अवैध रूप से अंतरित भूमि के पुनः वापसी का प्रावधान है, इसका विस्तार पूरे छोटानागपुर, कोल्हान एवं पलामू प्रमंडल के अनुसूचित एवं गैर अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू है।

DRAFT

संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम में आदिवासियों की अवैध रूप से अंतरित भूमि पुनः वापसी का प्रावधान है। इसका विस्तार पूरे संथाल परगना प्रमंडल के अनसूचित एवं गैर अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू है। अतः,

(क) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 15 दिन के अन्दर राजस्व कर्मचारी द्वारा रजिस्टर 2 की प्रतिलिपि ग्राम सभा को उपलब्ध कराया जायेगा।

(ख) **ग्रामसभा द्वारा भूमि की वापसी:** यदि कोई ग्रामसभा अपने अधिकार क्षेत्र में यह पाती है कि अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य से किसी अन्य व्यक्ति ने उसकी जमीन गैर कानूनी ढंग से या उसकी नासमझी का फायदा उठाकर अपने कब्जे में कर ली है, तो वह उस भूमि का कब्जा उस व्यक्ति को प्रत्यावर्तित करेगी जिसकी वह मूलतः जमीन थी और यदि उस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है तो उसके वैधिक वारिसों को प्रत्यावर्तित/वापसी करायेगी।

परन्तु यदि ग्रामसभा किसी भी कारण से ऐसी भूमि की प्रत्यावर्तित/वापसी कराने में असफल रहती है, तो ग्राम सभा ऐसे मामलों में उपायुक्त को सूचित करेंगी एवं उक्त प्रस्ताव के ३० दिनों के अंतर्गत उपायुक्त कार्यवाई सुनिश्चित करेंगे।

(ग) **हस्तान्तरणों का नियमन:** किसी भी तरह की भूमि हस्तानांतरण के पूर्व उपायुक्त ग्राम सभा से अनुसंशा प्राप्त करने के पश्चात ही भूमि का हस्तांतरण कर सकेंगे। ग्रामसभा अवैध भूमि हस्तांतरण का लेखा जोखा रखेगी।

अध्याय- 17
बाजारों का प्रबंधन

34. बाजारों का प्रबंधन :

(1) ग्राम सभा के अपने क्षेत्र में अवस्थित बाजारों, मेला, पारंपरिक जतरा (पशु मेला सहित) का नियंत्रण और उनका प्रबंधन करने में सक्षम होगी।

(2) ग्राम सभा का यह कर्तव्य होगा की,

(क) बाजार में दुकानदारो एवं उपभोक्ताओं के लिए जल, शेड एवं अन्य भौतिक सुविधाएं उपलब्ध कराएगी।

(ख) बाजार में जन साधारण के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पदार्थों के प्रवेश एवं विक्रय पर रोक लगाएगी।

(ग) यह सुनिश्चित करेगी कि संव्यवहार में भार एवं माप वास्तविक हैं।

(घ) प्रभारित किये जा रहें मूल्यों का जानकारी एकत्र और साझा करेगी।

(ङ) मूल्यों से सम्बंधित धोखा धड़ी या गलत जानकारी सहित समस्त व्यवहार प्रतिबंधित करेगी।

(च) बाजार में या इसके आस पास के क्षेत्र में जुआ एवं सट्टेबाजी (चाहे वह जिस प्रकृति का हो) इत्यादि को प्रतिबंधित करेगी।

(छ) बाज़ार में दुकानदारो पर कर अधिरोपित करने की शक्ति होगी परन्तु बाज़ार में लघु विक्रेताओं पर कोई कर अधिरोपित नहीं की जाएगी।

(ज) ग्राम सभा यह सुनिश्चित करने के लिए सक्षम होगी कि कौन लघु विक्रेता के रूप में अर्हित होता है।

(झ) एक साझा बाजार साझा करने वाले गांवों द्वारा मिलकर एक ग्राम सभा के माध्यम से बाज़ार के प्रबंधन के लिए एक बाज़ार समिति का गठन कर सकेगी। यह समिति गाँव के बाज़ार समिति की व्यवस्था के लिए जवाबदेह होगी।

DRAFT

(ञ) बाजार एवं मेला, पारंपरिक जतरा में किसी प्रकार के विवाद का निपटारा ग्राम सभा स्तर पर किया जायेगा।

अध्याय- 18
उधार पर नियंत्रण

35. उधार पर नियंत्रण:

i. ग्राम सभा झारखण्ड निजी साहूकारी (निषेध) अधिनियम 2016 के नियम के अनुसार कार्रवाई करने में सक्षम होगी।

ii. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) एवं सेबी मे पंजीकृत संस्थायें ही अनुसूचित क्षेत्र में कर्ज लेन देन हेतु अधिकृत होंगे।

iii. ऐसी संस्थाओं को ग्राम सभा भवन या अन्य सार्वजनिक स्थान पर ब्याज की दर के संबंध मे एक सूचना पटल लगाना अनिवार्य होगा।

iv. इन संस्थाओं को ग्राम सभा क्षेत्र में दिये गए ऋण, ब्याज की दर तथा ऋण की शर्तों के संबंध में प्रतिवर्ष ग्राम सभा में लिखित जानकारी देना आवश्यक है।

v. पंजीकृत संस्थाओं के अतिरिक्त किसी साहूकारी की जानकारी प्राप्त होने पर ग्राम सभा ऐसे साहूकारों के विरूद्ध FIR दर्ज कर सकेंगी।

vi. ऋण चुकाने में असफल होने की स्थिति में व्यक्ति पर वसूली भूमि की नीलामी, कुर्की अथवा कानूनी कार्रवाई के प्रकरणों में ग्राम सभा कर्जदार के न्यूनतम आवश्यकताओ एवं मानवाधिकार को सुरक्षित रखने का प्रयास करेगी।

36. कठिनाइयों का दूर किया जाना :

झारखण्ड पंचायती राज अधिनियम 2001, पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रो पर विस्तार) अधिनियम 1996 के धाराओं के अंतर्गत इस नियमावली के नियमो को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार अवसर के अपेक्षा अनुसार शासकीय गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसा कुछ भी कर सकेगी जो कठिनाई को दूर करने में उसे आवश्यक प्रतीत होता हो।

37. अधिनियम / नियमों मे संशोधन :

झारखण्ड पंचायती राज अधिनियम 2001, पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रो पर विस्तार) अधिनियम 1996 के धाराओं के अनुरूप इस नियम के प्रकाशन होने के एक वर्ष के भीतर नियम के विभिन्न कंडिकाओ मे उल्लेख अनुसार शासन के विभिन्न विभाग आवश्यकता अनुसार राज्य अधिनियम/ नियमों/ आदेशों/निर्देशों / परिपत्रों मे संसोधन करेंगे तथा यदि संघ किसी सरकार के अधिनियाम/नियमों मे संसोधन की आवश्यकता हो तो इस हेतु पहल किए जाएंगे।

38. निरसन : इन नियमों के प्रवृत्त होने पर यदि किन्ही भी नियमों की किन्ही उपबंधों की असंगत न हो, तो यह समझा जाएगा की वह इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई है।

DRAFT

प्रपत्र – 1

(नियम 4 (i) देखिये)

सूचना

झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 के अन्तर्गत झारखण्ड पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रो पर विस्तार) नियमावली 2024 के नियम 4 (i) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे दी गई सारणी में वर्णित विवरणी के अनुसार ग्राम सभा के गठन के आशय की जानकारी एतद् द्वारा प्रकाशित की जाती है।

प्रकाशित ग्राम सभा की विवरणी पर आपत्तियों / सुझावों दिनांक .... तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में जमा किया जा सकता है ।.

सारणी

क्र०सं०	प्रखण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम सभा का नाम	ग्राम सभा में शामिल गाँव / क्षेत्र	जनसंख्या	थाना संख्या	अन्य विवरणी
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

.

स्थान

जारी करने की तारीख

जिला दण्डाधिकारी / उपायुक्त

DRAFT

प्रपत्र – 2

(नियम 5 (i) देखिये)

ग्राम सभा विनिर्दिष्ट करने हेतु आवेदन पत्र

सारणी

1. प्रस्तावित ग्राम सभा की विवरणी

प्रखण्ड का नाम	पंचायत का नाम	वर्तमान ग्राम सभा का नाम	प्रस्तावित ग्राम सभा के क्षेत्र में पड़ने वाले ग्राम / टोलो का नाम	जनसंख्या	नया ग्राम सभा बनाने का औचित्य
1.	2.	3.	4.	5.	6.

2. पारम्परिक रूप से चयनित / मनोनीत ग्राम सभा अध्यक्ष की विवरणी
   1. नाम
   2. पिता या पति का नाम
   3. पता

ग्राम सभा के सदस्यों के हस्ताक्षर

DRAFT

प्रपत्र – 3

(नियम 5 (ii) देखिये)

सूचना

झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 के अन्तर्गत झारखण्ड पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रो पर विस्तार) नियमावली 2024 के नियम 5 (ii) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे दी गई सारणी के भीतर कॉलम 4 में वर्णित (ग्रामों / ग्रामों के समूह / टोलों एवं टोलों के समूह आदि) के लिए अलग ग्राम सभा के गठन के आशय की जानकारी एतद् द्वारा प्रकाशित की जाती है।

उन आपत्तियों / सुझावों पर, जो दिनांक .... तक अधोहस्ताक्षरी को प्राप्त होंगे, विचार किया जायेगा। उक्त तिथि तक प्राप्त आपत्तियों / सुझावों पर दिनांक ....को कार्यालय में सुनवाई की जायेगी ।

सारणी

प्रखण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	वर्तमान ग्राम सभा में शामिल क्षेत्र	प्रस्तावित ग्राम सभा में शामिल क्षेत्र	अवशेष क्षेत्र	जनसंख्या	थाना संख्या	अन्य विवरणी
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

.

स्थान

जारी करने की तारीख

जिला दण्डाधिकारी / उपायुक्त

DRAFT

प्रपत्र – 4

(नियम 5 (viii) देखिये)

<u>अधिसूचना</u>

झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 के अन्तर्गत झारखण्ड पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रो पर विस्तार) नियमावली 2024 के नियम 5 (viii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए नीचे दी गई सारणी के कॉलम 2 में वर्णित ग्राम पंचायत की सीमा के भीतर कॉलम 2 में वर्णित क्षेत्र के लिए अलग ग्राम सभा का गठन करतें हैं, जो आगामी माह की प्रथम तारीख से अस्तित्व में आऐंगी :

<u>सारणी</u>

प्रखण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम सभा का नाम	राजस्व ग्राम	सम्मिलित ग्रामों के नाम	ग्राम की जनसंख्या	मुख्यालय
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

स्थान -

जारी करने की तारीख -

जिला दण्डाधिकारी / उपायुक्त

DRAFT

प्रपत्र – 5

(नियम 10 (क) देखिये)

<u>ग्राम सभा की बैठक की सूचना</u>

ग्राम सभा .... के सभी सदस्यों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम सभा की बैठक तारीख .... को निम्नलिखित ग्राम के स्थान .... पर होगा ।

ग्राम सभा के सभी सदस्य, जिनके नाम मतदाता सूची में दर्ज है, बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित हैं।

बैठक बुलाने वाला प्राधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर

DRAFT

प्रपत्र-6

(नियम 16 देखिये)

<u>ग्राम सभा में उपस्थित सदस्यों की उपस्थिति पंजी</u>

1. ग्राम पंचायत का नाम
2. ग्राम सभा का नाम-
3. बैठक की तारीख -
4. बैठक का स्थान -
5. बैठक का समय -

क्रमांक	बैठक में उपस्थित सदस्यों के नाम	सदस्यों के हस्ताक्षर
1.	2.	3.
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		

DRAFT

उपस्थित सदस्यों की कुल (शब्दों में)..

स्थान –

तारीख –

ग्राम पंचायत सचिव के हस्ताक्षर

एवं मुहर

प्रपत्र – 7

(नियम 17 (क) देखिये)

<u>ग्राम सभा के कार्यवाही अभिलेख</u>

1. ग्राम पंचायत का नाम –
2. बैठक की तारीख
3. बैठक का स्थान
4. बैठक का समय
5. उपस्थित ग्राम सभा सदस्यों की संख्या

क्रमांक	ग्राम सभा के समक्ष रखे गये विषय	बैठक की कार्यवाही

स्थान –

जारी करने की तारीख –

ग्राम पंचायत सचिव के हस्ताक्षर
एवं मुहर

DRAFT

प्रपत्र – 8

(नियम - 7 (ड) देखिए)

<u>शपथ / प्रतिज्ञा पत्र</u>

मैं श्री/श्रीमती... ग्राम सभा............................. ग्राम पंचायत../ प्रखण्ड ..../ जिला...........के ग्राम सभा .के अध्यक्ष के रूप में ईश्वर की शपथ लेता / लेती हूँ / निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा करता/करती हूँ कि विधि द्वारा संस्थापित भारतीय संविधान के प्रति सच्चा विश्वास एवं निष्ठा रखूंगा/रखूँगी, झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम की व्यवस्थाओं के अनुसार ग्राम सभा की परम्पराओं एवं रुढ़ियों को अक्षुण्ण रखते हुए सभी व्यक्तियों के लिए जो न्यायसंगत होगा वही करूँगा / करुँगी ।

स्थान - शपथ ग्रहण / प्रतिज्ञाकर्ता का हस्ताक्षर

तारीख -

विहित पदाधिकारी / कर्मचारी के हस्ताक्षर एवं मुहर

DRAFT

परिशिष्ट 1

(भारतीय न्याय संहिता, 2023 प्रवृत के उपरांत भारतीय दंड संहिता 1860 की सुसंगत धारायें यथा संसोधित /प्रतिस्थापित से आच्छादित होंगी)

क्र0 सं0	आईपीसी धारा	अपराध	अधिकतम अर्थदंड
1	160	दंगा, फसाद	अधिकतम रू. 100 तक
2	264	गलत तौल के बाटों का प्रयोग	अधिकतम रू. 500 तक
3	265	खोटे बाट या माप का कपटपूर्वक उपयोग	अधिकतम रू. 500 तक
4	266	खोटे बाट या माप को कब्जे में रखना	अधिकतम रू. 200 तक
5	267	खोटे बाट या माप का बनाना या बेचना	अधिकतम रू.1000 तक
6	269	उपेक्षापूर्ण कार्य जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण फैलाना संभाव्य हो	अधिकतम रू. 500 तक
7	277	लोक जल-श्रोत या जलाशय का जल प्रदूषित करना	अधिकतम रू. 500 तक
8	283	लोक मार्ग या नौपरिवहन पथ में संकट या बाधा	अधिकतम रू. 200 तक
9	285	अग्नि या ज्वलनशील पदार्थ के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण	अधिकतम रू. 500 तक
10	286	विस्फोटक पदार्थ के बारे में उपेक्षापूर्ण आचरण	अधिकतम रू.1000 तक
11	288	किसी निर्माण को गिराने या उसकी मरम्मत करने के सम्बंध में उपेक्षापूर्ण आचरण	अधिकतम रू. 500 तक
12	289	जीवजन्तु के सम्बंध में उपेक्षापूर्ण आचरण	अधिकतम रू. 500 तक
13	290	अन्यथा अनुपबंधित मामलों में लोक न्यूसेंस के लिए दंड	अधिकतम रू. 200 तक
14	294	अश्लील कार्य और गान	अधिकतम रू. 200 तक
15	298	धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने के विमर्शित आशय से शब्द उच्चारित करना आदि	अधिकतम रू. 500 तक
16	323	स्वेच्छया उपाहित कारित करने के लिए दंड	अधिकतम रू.1000 तक
17	334	प्रकोपन पर स्वेच्छया उपहित करना	अधिकतम रू. 500 तक
18	336	कार्य जिससे दूसरों का जीवन या व्यक्तिक क्षेत्र संकटापन्न हो	अधिकतम रू. 500 तक
19	341	सदोष अवरोध के लिए दंड	अधिकतम रू. 500 तक
20	352	गंभीर प्रकोपन होने से अन्यथा हमला करने या अपराधिक बल का प्रयोग करने के लिए दंड	अधिकतम रू. 500 तक
21	374	विधि विरुद्ध अनिवार्य श्रम	अधिकतम रू.1000 तक
22	379	चोरी के लिए दंड	अधिकतम रू.1000 तक
23	403	संपत्ति का बेईमानी से दुरूपयोग	अधिकतम रू. 500 तक
24	411′	चुराई हुई संपत्ति को बेईमानी से दुर्नियोग	अधिकतम रू. 500 तक
25	417	छल के लिए दंड	अधिकतम रू. 500
26	426	रिष्टि के लिए दंड	अधिकतम रू. 200 तक

DRAFT

27	427	रिष्टि जिससे पचास रूपए का नुकसान होता है	अधिकतम रू. 200 तक
28	428	दस रूपए के मूल्य के जीवजन्तु को वध करने या उसे विकलांग करने द्वारा रिष्टि	अधिकतम रू.100 तक
29	429	किसी मूल्य के ढोर, आदि को या पचास रूपए के मूल्य के किसी जीवजन्तु को वध करने या उसे विकलांग करने द्वारा रिष्टि	अधिकतम रू. 500 तक
30	447	आपराधिक अतिचार के लिए दंड	अधिकतम रू. 500 तक
31	448	गृह अतिचार के लिए दंड	अधिकतम रू. 100 तक
32	500	मानहानि के लिए दंड	अधिकतम रू. 500 तक
33	504	लोकशांति भंग कराने को प्रकोपित करने के आशय से साशय अपमान	अधिकतम रू. 200 तक
34	506	आपराधिक अभित्रास के लिए दंड	अधिकतम रू.1000 तक
35	509	शब्द, अंगविक्षेप या कार्य जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के लिए आशयित है	अधिकतम रू.1000 तक
36	510	मत्त व्यक्ति द्वारा लोक स्थान में अवचार	अधिकतम रू. 10 तक
’बशर्ते चोरी गयी गयी संपत्ति का मूल्य 250 रूपए से ज्यादा नहीं हो			

DRAFT

(परिशिष्ट-2)

Jharkhand Rights to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Rules, 2015 के नियम 20 के अनुसार I

20. Consent of the Gram Sabha in Scheduled Areas-

(1) In case of acquisition of land in Scheduled Areas mentioned in the Fifth Schedule of the Constitution of India, the consent of Gram Sabha shall be obtained by the Deputy Commissioner in PART B of FORM V to these Rules. He shall notify the date, time and venue for holding special Gram Sabhas in the affected areas before two weeks in advance and conduct public awareness campaigns to motivate members of the Gram Sabhas to participate in the Gram Sabhas. The consent of the concerned Gram Sabha or the Panchayat, as the case may be, for Land Acquisition shall be taken as per the Panchayat Raj Extension to Scheduled Areas Act 1996 and provision mentioned u/s 41 of the Act. For linear projects, Gram Sabha may be conducted at the level of Gram Panchayat for the area involving more than one village, at Panchayat Samiti level for projects involving more than one Gram Panchayat, at district board level for projects involving more than one block in a district.

(2) The procedure to be followed to obtain the prior consent of the Gram Sabha shall be same as prescribed under Rule 19.

(3) The quorum shall be at least one third of the total members of the Gram Sabha for considering the consent as valid.

Provided that one third of the total women members of the Gram Sabha shall also be present in the Gram Sabha meeting.

If in the first Gram Sabha meeting, the quorum is not available, then in subsequent meeting, quorum is not necessary.

(4) No Gram Sabha can withdraw its consent once given in the above manner.

DRAFT